सर्व शिक्षा अभियान

Sarv Shiksha Abhiyan

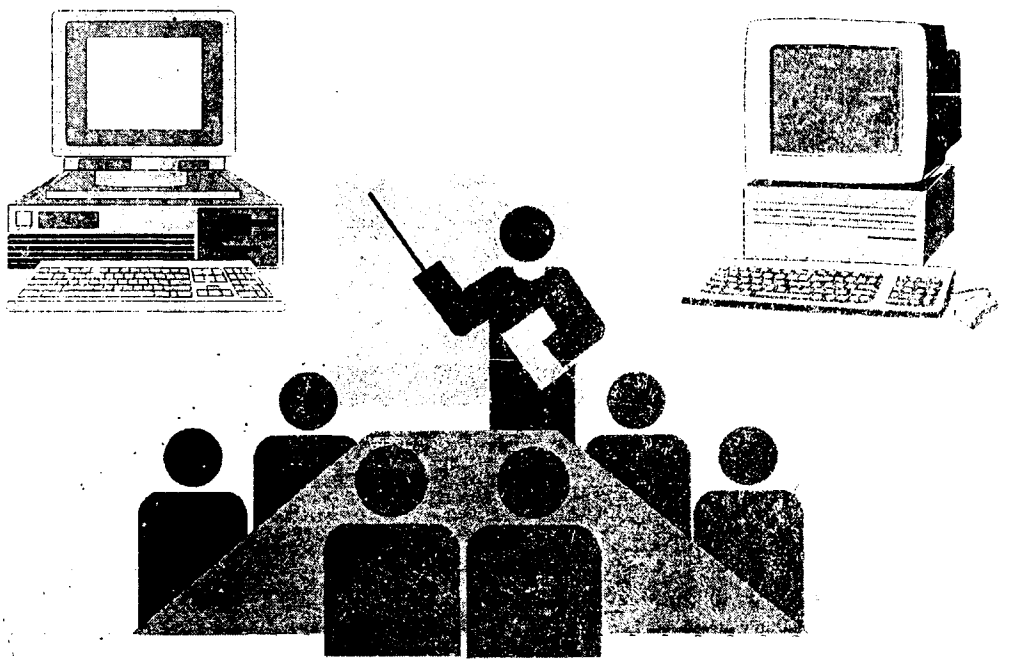

परसपेक्टिव प्लान

2002 - 2007

जनपद : बलिया

प्रस्तुत कर्ता :

श्री अशोक कुमार सिंह
(जिला समन्वयक)

श्री दया राम यादव
(सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी)

श्री भूरे लाल
विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं0
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1–4
2.	जनपद का शैक्षिक पदृिश्य	5–18
3.	नियोजन प्रक्रिया	19–48
4.	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	49–58
5.	समस्यायें एवं रणनीति	59–69
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1	70–79
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–2	80–97
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	98–118
9.	गुणवत्ता के लिए नियोजन	119–165
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	166–173
11.	नियोजन एवं लागत	174–181
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	182–185

अध्याय–1

जनपद की पृष्ठभूमि

बलिया जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। जो आजमगढ़ मण्डल का एक जनपद है। यह 35°.33 तथा 26°.11 उत्तररी अक्षांश एवं 83°38' से 85°39' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तरी सीमा पर घाघरा नदी, दक्षिणी सीमा पर गंगा एवं टोंस (तमसा) नदियाँ है। जनपद का आकार त्रिभुजाकार है जो दो महानिदयों को स्पर्श करता है। यह जनपद बिहार प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इसके उत्तर में देवरिया जिला, दक्षिण में बिहार प्रान्त का भोजपुर बक्सर, पूर्व में बिहार प्रान्त का गोपालगंज, सारण तथा सीवान जिले एवं पश्चिमी सीमा पर गाजीपुर एवं मऊ स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जनपद का क्षेत्रफल 3103 वर्ग किमी0 है। इसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम 185 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण 60 किमी0 है।

यह जनपद गाजीपुर जनपद से सन् 1901 में अलग होकरके जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। बलिया अति प्राचीन काल से ऋषि मुनियों एवं राजा महाराजाओं से जुड़ा रहा जहाँ एक ओर इसे राजा बलि की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है वहीं महर्षि भृगु एवं दर्दर मुनि की तपस्थली रही। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिया की अग्रणी भूमिका थी। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद श्री मंगल पाण्डेय, सन् 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद श्री चित्तू पाण्डेय का नाम उल्लेखनीय है। सन् 1942 में सर्वप्रथम तीन आजाद होने वाले जनपदों में बलिया भी एक था।

वैदिक काल से लेकर आज तक बलिया की धरती साहित्यिक साधुओ की जन्म भूमि रही है। महर्षि वाल्मीकि की यह धरती प्रिय थी ही आधुनिक काल के हिन्दी के मूर्धन्य समालोचकों में डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा विज्ञान के विज्ञान डॉ0 उदय नारायण तिवारी तथा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जैसे चिन्तकों की

जन्मस्थली का गौरव इस जनपद को प्राप्त है। भारत के रामानुज के बाद कोई गणितज्ञ हुआ तो वह निर्विवाद डॉ0 गणेश प्रसाद थे। जिनका जन्म इसी जनपद में हुआ था। इस जनपद में प्रमुख नदियां गंगा, घाघरा, तमसा तथा अन्य कई नदियाँ एवं नाले वर्षा ऋतु में जिले के अधिकांश भू–भाग को जल मग्न कर देते हैं जिससे फसल, मकान, को प्रभावित करते हैं तथा शिक्षा भी प्रभावित होती है।

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

ग्रामीण क्षेत्र

1.	त्हसील	6
2.	विकास खण्ड	17
3.	न्याय पंचायत	163
4.	ग्राम पंचायत	835
5.	राजस्व ग्राम	1791
6.	ग्राम/बस्तियां (आबाद)	2359

सारिणी–1.2

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	एन0पी0आर0सी0	ग्राम पंचायत	बस्ती/मोहल्ले
1.	रसड़ा	12	65	173
2.	गड़वार	11	63	177
3.	नगरा	16	81	177
4.	नवानगर	10	46	114
5.	बुहड़	9	53	176
6.	मोहांव	8	45	230
7.	सीयर	15	75	173

8.	रेवती	8	44	131
9.	पन्दह	9	41	83
10.	हनुमानगंज	9	53	124
11.	चिलकहर	10	62	160
12.	मुरलीछपरा	5	23	54
13.	मनियर	9	41	134
14.	बेलहरी	7	31	71
15.	बैरिया	8	30	66
16.	बेरूआरवारी	7	33	112
17.	बांसडीह	10	49	204
	योग	**163**	**835**	**2359**

नगरीय क्षेत्र		
1.	नगर निगम	—
2.	नगर महापालिका	—
3.	नगरपालिका	2
4.	टाऊन एरिया	7

तहसीलें– 1–बलिया, 2. बाँसडीह, 3. रसड़ा, 4. बैरियाँ 5. सिकन्दरपुर 6. बेल्थरारोड

विकास खण्ड– 1. बैरिया , 2. बेलहरी, 3. बाँसडीह, 4. बेरूआरबारी, 5. चिलकहर, 6. दुबहर, 7. गड़वार, 8. हनुमानगंज, 9. मुरली छपरा, 10. मानियर, 11. नगरा, 12. नवा नगर, 13. पन्दह, 14. रसड़ा, 15. रेवती। 16. सीयर 17. सोहाँव।

नगर पालिका : 1. बलिया, 2. रसड़ा

टाउन एरिया : 1. बेल्थरारोड 2. सिकन्दरपुर 3. चित्रबड़ागांव 4. मनियर 5. बाँसडीह

6. रेवती 7. सहतवार

जनसंख्या
विकास खण्डवार जनसंख्या

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	जनगणना			2001		
		कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	सीयर	100514	98522	199036	19731	19340	39071
2.	नगरा	113510	111261	224771	26372	25049	52221
3.	रसड़ा	86344	84633	170977	18752	18380	37132
4.	चिलकहर	77936	76391	154327	15630	15319	30949
5.	नवानगर	66184	65852	133036	11388	11162	22550
6.	पन्दह	63595	62334	125929	10986	10768	21754
7.	मनियर	60708	59505	120213	7319	7174	14493
8.	वेरूआरवारी	53251	52195	105446	4916	4818	9734
9.	बांसडीह	64290	63016	127306	6151	6019	12180
10.	रेवती	62587	61346	123933	7.033	6893	13926
11.	गड़वार	71297	69884	141181	12266	12022	24288
12.	सोहांव	69997	68610	138607	11455	10825	21870
13.	हनुमानगंज	81637	80019	161656	10245	10042	20287
14.	दुबहर	77770	76230	154000	9039	8859	17898
15.	बेलहरी	57059	55929	112988	6673	6638	13411
16.	वैरिया	78750	77190	155940	8351	8185	16536
17.	मुरली छपरा	65955	64648	130603	6758	6624	13382
18.	योग ग्रामीण	1188457	1191183	147949	192720	188902	381622
	नगर क्षेत्र	137642	134916	272558	85284	83595	168879
	महोयाग	1426408	1326099	2762507	278004	272497	550501

अध्याय–2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद बलिया में अप्रैलय 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0III) चल रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत शिक्षा को सर्व साधारण तक पहुँचाने, गुणवत्ता में अभिवृद्धि, ठहराव कम करने तथा प्रबन्धन क्षमता में वृद्धि एवं विकास जैसे विशिष्ठ उद्देश्यों को निहित किया गया है। जिनका लाभ जिले में शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है। इस योजना में सभी वर्गों को शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में उत्तरोत्तर गति लाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जनपद में किया जा रहा है।

वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार इस जनपद की साक्षरता दर 58.88% है जिसमें 43.92% महिलाएं तथा 73.15 पुरूष साक्षर है। साक्षरता सम्बन्धी सारिणी 2.1 पर एवं वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर विकास खण्डवार विवरण सारिणी 2.2 पर अंकित है।

सारिणी 2.1

पुरूष साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता प्रतिशत	कुल साक्षरता प्रतिशत
73.15	43.92	58.88

नोट– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता पर 58.88 है। पुरूष साक्षरता दर 73.15 एवं महिला साक्षरत दर 43.92 है। जबकि वर्ष 1991 की कुल साक्षरता दर 42.00 थी पुरूष की साक्षरता दर 54.40 एवं महिला की कुल साक्षरता दर 23.80 थी। इस प्रकार विगत एक दशक के अन्तराल में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारिणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता दर

क्र.सं.	विकास खण्ड	साक्षरता दर		योग
		पुरूष	महिला	
1.	सीयर	61.10	25.80	43.50
2.	नगरा	60.00	23.40	41.70
3.	रसड़ा	58.40	22.90	42.30
4.	चिलकहर	59.9.	23.00	41.60
5.	नवानगर	62.30	26.90	44.60
6.	पन्दह	56.20	21.30	38.60
7.	मनियर	52.70	19.20	36.00
8.	बेरूआरबारी	58.80	24.20	41.70
9.	वांसडीह	51.50	17.90	35.10
10.	रेवती	51.30	17.90	3510
11.	गड़वार	56.60	26.40	26.20
12.	सोहांव	5700	23.10	40.70
13.	हनुमानगंज	61.80	28.20	45.90
14.	दुवहर	63.20	26.60	44.80
15.	बेलहरी	62.30	26.60	44.80
16.	वैरिया	62.70	25.30	44.60
17.	मुरलीछपरा	61.30	22.80	22.80
योग	**(ग्रामीण क्षेत्र)**	**59.40**	**23.80**	**42.00**
	नगर क्षेत्र	**72.20**	**48.20**	**60.90**
	जनपद की साक्षरता	**60.20**	**26.10**	**43.90**

नोटः— वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण प्रकाशित न होने के कारण उपलब्ध नहीं है।

स्रोत– जनपद की सांख्यिकी हस्तपुस्तिका (वर्ष 1995) विकास खण्डों में सबसे कम साक्षरता वाले विकास खण्ड गड़वार और खेती है जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 26.20 एवं 34.90 प्रतिशत हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड दुवहर है जहां साक्षरता दर 46.00% है।

जनपद की साक्षरता दर 26.10 प्रतिशत के सापेक्ष न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्ड रेवती, बांसडीह, मनियर, पन्दह, रसड़ा, मुरली छपरा है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला विकास खण्ड हनुमानगंज है।

जनपद बलिया में प्रत्येक 1686 की जनसंख्या पर 01 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है और जनपद में 1633 प्राथमिक विद्यालय है।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण (Household Survey) के अनुसार

6–11 तथा 11–14 वय वर्ग (मई 2003) बच्चों की संख्या

क्रमांक	जाति	कुल बच्चों की संख				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			
		बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक		बालिका	
		6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14
1	सीयर	19682	9699	17354	8011	18580	8273	16506	7643	3915	426	3200	434
2	नगरा	21347	9928	19011	8791	20229	9484	18266	8440	3083	298	2835	360
3	बांसडीह	11722	5830	10341	5424	9491	4396	8656	4306	2437	1434	1871	1118
4	नवानगर	14095	6979	12102	6210	11746	6052	10391	5440	2349	927	1711	770
5	पन्दह	1119	5258	9498	4485	10516	5051	8695	4100	2345	207	2372	385
6	मनियर	15371	5922	13487	4285	14171	5390	12335	3509	1200	532	1152	676
7	बैरिया	13034	6628	10292	5385	12207	6364	9738	4353	1399	572	1599	580
8	मुरलीछपरा	9300	5399	8552	4882	11345	4972	7642	4532	655	437	910	350
9	बेलहरी	8020	4494	6405	3835	7693	4388	6196	3698	427	106	209	137
10	रेवती	11995	55321	9169	4578	10096	5419	7667	3904	2226	721	1750	747
11	दुबहड	12836	7439	11237	6684	12342	7143	10752	6296	1868	296	1624	388
12	हनुमानगंज	9256	1436	9845	1586	9146	1280	9715	1450	3390	156	3772	136
13	चिलकहर	11230	5884	9899	4593	10442	5342	8789	4610	1730	355	1629	325
14	गडवार	13119	6074	10917	5119	12585	5860	10337	4813	642	190	674	266
15	बेरुआरवारी	10194	4913	8287	3995	9139	4463	7139	3384	1055	450	1148	611
16	रसड़ा	17250	8116	14995	6700	16533	7699	14312	6196	2067	417	1643	504
17	सोहांव	13327	5666	10341	4542	12281	5515	10092	4323	2023	113	1694	165
18	नगर क्षेत्र	10223	2573	9605	2403	8791	2248	8479	2134	1432	325	1126	269
	कुल योग	***233120***	***107770***	***201337***	***91474***	***217333***	***100339***	***185707***	***83137***	***34143***	***7962***	***30919***	***8221***

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारिणी 2.5 में दिया गया है–

सारिणी – 2.5

क्र मां क	विवरण	परिषदीय/शासकी विद्यालय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्राथमिक विद्यालय	1600	35	1635	419	39	458	2019	74	2083	163	16	179
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्रा0 विद्या0	–	–	–	03	–	03	03	–	03	–	–	–
3.	पूर्व मा0 विद्यालय	275	15	290	174	30	204	352	45	397	34	08	42
4.	मा0 विद्यालयों से सम्बद्ध पूर्व मा0 विद्यालय	5	7	12	12	05	17	17	12	29	03	01	04
5.	केन्द्रीय विद्यालय	0	01	01	–	–	–	–	01	01	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
7.	हाईस्कूल	00	02	05	48	04	51	51	06	57	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	04	03	07	57	13	70	51	16	77	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	–	–	–	15	02	17	15	02	17	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महा विद्यालय	–	–	–	01	04	05	01	04	05	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	तकनीकी संस्थान आई0टी0आई0, पॉलिटेकनिक	03	02	05	–	–	–	02	02	05	–	–	–
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	03	03	–	03	03	–	02	02
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	923	–	923	–	–	–	923	–	923	–	–	–
15.	मकतब मदरसों	–	–	–	06	08	14	06	08	14	03	04	07

	की संख्या												
16.	संस्कृत पाठशालाएं	—	—	—	06	04	14	10	04	14	—	—	—
17.	विकलांग बच्चों की संस्था	—	—	—	—	01	01	—	01	01	—	—	—
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	—	01	—	—	—	01	—	01	—	—	—
19.	बे0आर0सी0	17	—	17	—	—	—	17	—	17	—	—	—
20.	एन0पी0आर0सी0	163	—	163	—	—	—	163	—	163	—	—	—

स्रोत विकास खण्डवार स0वे0शि0अ0 से प्राप्त सूचनाओं की आधार पर

वर्तमान परिषदीय/राजकीय प्राथमिक विद्यालय — 1635

सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय — 5

परिषदीय/राजकीय जूनियर हाई स्कूल — 290

सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल — 45

सहायता प्राप्त हा0 स्कूल, इण्टर कालेज
जहां जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाएं संचालित हैं — 95

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं:—

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण सारिणी नं0 2.6 में दिया गया है।

सारिणी 2.6

प्रा0वि0	1633
भवनहीन विद्यालयों की संख्या	18
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	20
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	1117
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	316
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	124
पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	18

पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या		20
मरम्मत योग्य विद्यालय	1. लघु मरम्मत योग्य	216
	2. बृहद मरम्मत योग्य	198
अति जर्जर भवन		21
शौचालय युक्त विद्यालय		1350
शौचालय विहीन		283

हैण्डपम्पः–

हैण्डपम्प	1357
हैण्डपम्प विहीन	216

चहारदीवारीः–

चहारदीवारीयुक्त	37
चहारदीवारीविहीन	1448

उच्च प्राथमिक स्तरः–

उच्च प्रा0वि0	276

मरम्त योग्यः–

लघु मरम्मत योग्य	46
बृहद मरम्मत योग्य	38
र्ज्जर भवन	26
भवनहीन	01
एक कक्षीय	02

दो कक्षीय	07
तीन कक्षीय	155
चार कक्षीय	85
पांच कक्षीय	16
पांच से अधिक	10
योग	**276**

शौचालयः—

शौचालय युक्त	169
शौचालय विहीन	107

हैण्डपम्पः—

हैण्डपम्प युक्त	255
हैण्डपम्प विहीन	21

चहारदीवारीः—

चहारदीवारीयुक्त	114
चहारदीवारीविहीन	162

भौतिक सुविधाओं की मांग

सारिणी 2.7

क्रमांक	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डीपीईपी / सर्व शिक्षा अभियान प्राविधान	मंग	कमी	डीपीईपी / सर्व शिक्षा अभियान प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	0	223	0	83	0	0
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	93	72	21	31	5	26
3.	अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रति शिक्षक / प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	1611	400	1211	319	26	293
4.	पेयजल सुविधा	216	—	216	21	—	21
5.	शौचालय	107	724	283	107	107	107
6.	चहारदीवारी	—	—	—	—	—	—

स्रोत विभागीय आंकड़ों से

सारिणी 2.8

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नवत् हैः—

क्रमांक	विवरण	सृजित पद	कार्यरत	रिक्ति	शिक्षा मित्रों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	4995	4500	495	1507
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1220	1040	180	—

विद्यालयों की उपलब्धताः–

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता सारिणी 2. 9 में दर्शायी गयी हैः–

सारिणी 2.9

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1 किमी0 कम दूरी पर विद्यालय	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय	प्रस्तावित नवीन विद्यालय/ ई0जी0एस0
1. ऐसे ग्रामों/ बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	732	706	0	–
2. ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	647	332	129	66

स्रोतः– विकास खण्ड से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

1 कि0मी0 से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय जहां आबाद बस्तियों की जनसंख्या 300 से अधिक है– 732

1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर प्रा0 विद्यालय जहां आबाद बस्तियों की संख्या 300 से अधिक है– 706

अतः 300 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्रामों की संख्या जहां पर प्रा0वि0 की आवश्यकता है – शून्य

1 किमी0 से कम दूरी की आबाद वाली बस्तियां जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक है उनकी संख्या 732 है और 1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी वाली बस्तियाँ 706 प्रा0 विद्यालय है। ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा एक किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय हैं की संख्या 647 है। परन्तु ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है और 1 किमी0 से 1.5 किमी0 से

कम दूरी पर विद्यालय है। उनकी सं0 332 है और 129 बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ से विद्यालय 1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर है। SSA के अन्तर्गत 73 नये प्राथमिक विद्यालय खुल जाने से जनपद की सभी बस्तियां किसी न किसी विद्यालय से आच्छादित हो गयी हैं।

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0वि0 की उपलब्धता

सारिणी 2.10

विवरण	3 किमी0 से कम दूरी पर उच्च प्रा0वि0	3 किमी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0वि0	प्रस्तावित उ0 प्रा0 वि0/AIE/ज्ञान केन्द्र
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	398	0	–
800 से कम	1706	50	50

सर्व शिखा अभियान के अन्तर्गत 83उच्च प्राथमिक विद्यालय से सभी असेवित बस्तियाँ आच्छादित हो गई हैं। 50 असेक्ति बस्तियां जिनकी आबादी 800 से कम है इनमें बालक/बालिकाओं की शिक्षा हेतु 50 AIE ज्ञान केन्द्र प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स–बलिया

यह जनपद डी0पी0ई0पी0 तृतीय से आच्छादित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय के रूप से 1999–2000 से कार्य कर रहा है। ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षो में स्थिति निम्नवत् हैः–

सारिणी – 2.11

जनपद की जनसंख्या	2691952	275207	2812153
प्रा0वि0 में नामांकन	1999–2000	2000–01	2001–02
कक्षा–1	86523	90699	99875
कक्षा–2	77984	70681	76736
कक्षा–3	61240	64796	70351
कक्षा–4	58225	59657	65988
कक्षा–5	53237	54547	59856
योग	**326209**	**340380**	**372806**
जी0ई0आर0 कुल	**81.30**	**82.99**	**88.91**
एन0ई0आर0 कुल			

सारिणी– 2.12

रीपीटीशन दर

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनपद बलिया

कक्षा	रिपीटीशन द्वारा		रिपीशन दर प्रतिशत में		योग
	वा0	वा0	वावक	बलिया	
1.	1521	1456	3.26	3.31	3.28
2.	512	494	1.40	1.45	1.42
3.	417	452	1.24	1.43	1.34
4.	232	249	0.76	0.85	0.81
5.	162	154	0.56	0.60	0.56
योग	**2844**	**2805**	**1.61**	**1.71**	**1.66**

डी0पी0ई0पी0 परियोजना के क्रियान्वयन से अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुए है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई हैं। फलस्वरूप एउकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी हैं। जनपद में अब 2.4 प्रतिशत ही एकल अध्यापकीय विद्यालय है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति फलस्वरूप छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ है। किन्तु नामांकन में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर जाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में भी सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1.83 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर करने के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण की आवश्यकता है।

सारिणी 2.13

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

विवरण	प्राथमिक विद्यालय	डच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	6–8	अनुपात
ग्रामीण	1848	352	13	365	3.9
नगरीय	95	45	06	51	1.9
योग	**1943**	**397**	**19**	**416**	**3.8**

माध्यमिक विद्यालयों के 6–8 अनुभागों को भी सम्मिलित करने पर उ0प्र0वि0 व प्रा0वि0 का अनुपात 1:3.8 आता है।

जनपद बलिया वर्श 2000 से डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित है परियोजना अवधि में प्राथमिक स्तर पर नामाकंन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी छात्र नामाकंन में वृद्धि हुई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्श 1999–2000 से 2001–2002 तीन वर्शो में नामाकंन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में कुल नामाकंन मुं बालिकाओं का अनुपात 41.5 से बढ़कर 44.7 प्रति ात हो गया है।

1997 से 2000 तक परिशदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामाकंन बालिया

वर्श	नामाकंन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बलिका	योग
1999–2000	69506	49223	118729	58.5	41.5	100
2000–2001	70102	51087	121189	57.8	42.2	100
2001–2002	69640	56208	125848	55.3	44.7	100
2002–2003	74753	63680	138433	53.99	46.01	100

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामाकंन एव वृद्धि

वर्श	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999–2000	41968	40764	35996	118729	.
2000–2001	42158	41017	38014	121189	2.0
2001–2002	45041	43461	37346	125848	3.7

किसी भी प्रथामिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अति आवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते है। अतः जनपद बालिया का पारिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामाकित होने वाले बच्चे) निम्न सारणी में ज्ञात कीजिए। सारणी से स्पश्ट है कि गत दो वर्शो में ट्राजिसन दर में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सारणी से यह भी स्पश्ट है कि प्राथमिक स्तर के 82.6 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित होते है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्राजिसन दर
1999–2000	53237	42158	79.2
2000–2001	54547	45041	82.6
2001–2002	62546	53454	85.45
2002–03	71387	65019	91.07

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

केन्द्र सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकारों के सहयोग से सम्पूर्ण भारतवर्ष में 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ की है। इस योजना को सम्पूर्ण भारत वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से लागू किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षा से अपवंचित बच्चों के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है। अभी तक अनेक राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, महिला समाख्या, समेकित शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना, जनशाला कार्यक्रम आदि विभिन्न नाम से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही थीं। यद्यपि यह सभी योजनाएं विद्यालय जाने की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य लेकर चलायी जा रही हैं, किन्तु इन योजनाओं का लक्ष्य समूह अलग–अलग था इनके कार्यक्रम अलग–अलग थे, इनका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविधियों में अन्तर था। इन सभी योजनाओं के मध्य समन्वय नहीं था अतः यह योजनाएं लाभकारी होने के पश्चात् भी वह परिणाम नहीं दे सकीं जो कि अभीष्ट था। सम्पूर्ण भारत वर्ष में अभी तक ऐसी कोई योजना एक साथ एकरुपता के साथ संचालित नहीं की जा रही थी। जिससे कि वह सम्पूर्ण लक्ष्य समूह को लाभ प्रदान कर सकें। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केवल 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को लच्छित करके चलाया जा रहा था, जिससे कि बच्चे कक्षा 5 तक की निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहें थे किन्तु पूर्व माध्यमिक स्तर पर उन्हें पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहें थे। इन्हीं विषमताओं को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में पूर्व माध्यमिक स्तर पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद बलिया में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालय इन सुविधओं से सर्वथा वंचित एवं उपेक्षित रहे हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की व्यवस्था की गई है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी सम्भव होती है, जबकि उसे लागू करने वाले स्वयं योजना बनायें एवं समुदाय का व्यापक सहयोग प्राप्त करें। प्रायः देखा गया है कि यदि कोई कार्यक्रम जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा हैं, यदि योजना निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गयी तो योजनाओं के सफल होने में सन्देह रहता है और यदि अच्छी योजना बन जाने के पश्चात् ही उसे लागू करने में समुदाय का सहयोग नहीं लिया जाता है, तब भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व इसके नियोजन का दायित्व जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, ग्राम शिक्षा समिति को सौंपा गया है। इस योजना के क्रियान्वयनमें सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना एक प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। जनपद बलिया में इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व एवं योजना निर्माण से पूर्व ग्रास रूट लेबिल तक व्यापक विचार विनिमय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर तथा जिला पंचायत स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् योजना को अंतिम रूप दिया गया है जिससे कि निचले स्तर पर कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। इस योजना में गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियां, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी शामिल कर उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्त्री–पुरुष असमानता दूर करने किशोरियों को जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने, विकलांक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस योजना के निर्माण के पूर्व सूक्ष्म नियोजन कराया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जा चुका है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

जनपद बलिया में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पहले चरण में सूक्ष्म नियोजन का कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया है, जिसके अन्तर्गत 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की गणना करायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन कराया गया है। इस कार्यक्रम से पूर्व सूक्ष्म नियोजनकर्ता अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा घर–घर जाकर कार्य करने पर बल दिया गया। इस योजना में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों ने ही कार्य किया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार की। ग्राम शिक्षा योजना में 0 से 6 वय वर्ग तथा 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कर उनके लिए आवश्यकतानुसार शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा योजना में बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थित का आकलन किया गया। इस कार्य में ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया गया। जनपद में 1997–98 में प्रथम बार तथा 1999–2000 में सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया। इन सूचनाओं का संश्लेषण, विश्लेषण कर समस्याओं की पहचान की गयी तथा तद्नुसार आवश्यकताअें का निर्धारण किया गया। सूक्ष्म नियोजन के द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी।

ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या

विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

शिक्षा ग्रहण न करने का कारण

क्या गांव में विद्यालय नहीं है? क्या विद्यालय खोलने की आवश्यकता है?

यदि विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।

क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं उसमें उपलब्ध सुविधएं पर्याप्त हैं?

यदि नहीं तो ग्रामवासियों के इसके लिए क्या सुझाव हैं?

क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के आधार पर है? विद्यालय में छात्र –अध्यापक अनुपात क्या हैं।

क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?

विद्यालय में शिक्षण कार्य की क्या स्थिति है?

शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियें के क्या सुझाव हैं?

उपर्युक्त सूचनायें सूक्ष्म नियेाजन के द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य किये गये, जिनमें कि समुदाय का व्यापक सहयोग लिया गया।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. शैक्षिक मानचित्रण
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्रम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी

सर्वप्रथम गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों को बुलाकर शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ग्राम की समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी शैक्षिक मानचित्रण तथा ग्राम शिक्षा योजना के महत्व से परिचित कराया गया तथा मानचित्रण हेतु कई समूहों का गठन कर दिया गया। इन समूहों के द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारें का सर्वेक्षण कराया गया तथा अभिलेख सुरक्षित रखे गये। इसके पश्चात् गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित करते हुए शैक्षिक मानचित्रण किया गया। इस मानचित्रण का सहारा लेते हुए तथा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में जो सूचनायें प्रमुख रूप से प्राप्त की गयी, वे निम्नवत हैं।

1. गांव /बस्ती की कुल जनसंख्या
2. 0–6 वय वर्ग की कुल संख्या
3. 6–11 वय वर्ग की कुल संख्या
4. 11–14 वय वर्ग की कुल संख्या
5. स्त्री–पुरुष की कुल जनसंख्या
6. पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या
7. न पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या
8. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
9. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
10. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श करते हुए ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना का

रिकार्ड ग्राम पंचायत स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर पर संकलित एवं संरक्षित किया गया। इसके रिकार्ड को ग्राम स्तर पर रखने का उद्देश्य यह था कि इस योजना के अनुरुप भविष्य में शिक्षा योजनायें लागू की जायें तथा ग्रामीण बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में संसाधन तथा सुविधएं उपलब्ध करायी जा सकें। शैक्षिक नियोजन के यह आंकड़े संकलित कर जिला स्तर पर संरक्षित कर लिए गए। जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना बनाने में आधारभूत आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रम चालाये जाने हेतु 6–9 वय वर्ग तथा 9–14 वय वर्ग दो समूहों में रखते हुए इनकी आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। इन वर्ग समूहों में बालक–बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी है, ताकि लिंग भेद के कारण उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए पृथक–पृथक योजनाओं का निर्धारण किया जा सके एवं लिंग असमानता को दूर किया जा सके। स्त्री–पुरुष समानता सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में लिंग संवेदीकरण का एक प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यां के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसी बस्तियें की पहचान कर ली गयी है, जिनकी आबादी 300 से कम है तथा उसकी सीमा से 1 किमी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है। जनपद बलिया में इस प्रकार की कुल 461 बस्तियाँ हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार कर ली गयी है जिनमें शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

हाउस होल्ड सर्वे (2003) के अनुसार
विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्रमांक	विकास खण्ड	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			
		6 – 11		11 – 14	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	सीयर	3915	3200	426	434
2	नगरा	3083	2835	298	360
3	बांसडीह	2437	1871	1434	1118
4	नवानगर	2349	1711	927	770
5	पन्दह	2345	2372	207	385
6	मनियर	1200	1152	532	676
7	बैरिया	1399	1599	572	580
8	मुरलीछपरा	655	910	437	350
9	बेलहरी	427	209	106	137
10	रेवती	2226	1750	721	747
11	दुबहड	1868	1624	296	388
12	हनुमानगंज	3390	3772	156	136
13	चिलकहर	1730	1629	355	325
14	गडवार	642	674	190	266
15	बेरुआरवारी	1055	1148	450	611
16	रसड़ा	2067	1643	417	504
17	सोहांव	2023	1694	113	165
18	नगर क्षेत्र	1432	1126	325	269
	कुल योग	***34143***	***30919***	***7962***	***8221***

स्कूल चलो अभियान

वर्ष 2003 जनपद बलिया में स्कूल चलो अभियान वृहद् स्तर पर संचालित किया गया। इस अभियान के फलस्वरूप सर्वप्रथम स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया तथा उसके पश्चात् इनके शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य लेकर सम्पूर्ण जनपद में विशेष अभियान चलाया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक–शिक्षिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन कराने के लिए न केवल प्रेरित किया गया वरन् नामांकन न होने की स्थिति में उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों के सापेक्ष 91 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराया जाना सम्भव हो सका। जनपद में 6–11 वर्ग के कुल 434457 बच्चों के सापेक्ष 430706 बच्चों का

नामांकन कराया गया तथा 11–14 वर्ग के कुल 199244 बच्चों के सापेक्ष 195832 बच्चों का नामाकंन कराया गया है।

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वप्रथम वातावरण सृजन का कार्य किया गया। इसके तहत माननीय जिलाधिकारी बलिया की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आहुत की गयी। इस बैठक में जनपदस्तरीय समस्त अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे अनवरत सचल रहकर इस अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रतिदिन अपनी प्रगति रिपोर्ट जिला कन्ट्रोल कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जनपद के समस्त अधिकारियों ने इन निर्देशों का पालन किया एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुँचकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से परिचित कराया तथा बच्चों के नामांकन कराने में सफलता प्राप्त की।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रमुखता के साथ आयोजित किये गये।

1. दिनांक 1/7/2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में स्कूल चलो अभियान की रूपरेखा तय की गयी तथा कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गयी।

   समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को ब्लाक स्तरीय अभियान का नेतृत्व प्रदान किया गया तथा विकास खण्ड में प्रगति हेतु उन्हें उत्तरदायी बनाया गया।

   जनपद के समस्त न्याय पंचायतों पर एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक को न्याय पंचायत का नोडल अधिकारी बनाया गया।

2. दिनांक 6/7/2001 को विकास खण्ड दुवहर, रेवती, , रसड़ा, सीपर तथा गड़वार में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शिक्षा अधिकारियों के साथ समस्त एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक, ब्लाक समन्वयक, शिक्षक–शिक्षिकायें तथा भारी सेंख्या में बच्चे उपस्थित रहे। इन रैलियों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण सृजन का कार्य किया गया। माननीय सदस्य विधान सभा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख आदि ने झण्डी दिखाकर रैलियेां को रवाना किया। पुवायाँ तथा खुआर की रैली में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

3. दिनांक 3/7/2001 को जिला स्तर पर बलिया नगर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली भृगु आश्रम बलिया से माननीय पर्यावरण एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (उ०प्र० सरकार) श्री बच्चा पाठक ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में जिला अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ–साथ माननीय मंत्री जी स्वयं चल रहे थे। इस रैली में बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। सभा के अन्त में मन्त्री जी ने समस्त जनपदवारियों का आहवान किया कि वे शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान में अपनी सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रेरित कर विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सहयोग करें। इस तरह जनपद स्तर पर वातावरण सृजन का कार्य किया गया।

4. दिनांक 8/7/2001 को विकास खण्ड चिलकहर, हनुमानगंज, एवं बांसडीह में रैलियों का आयोजन हुआ। सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारियां के साथ भारी संख्या में शिक्षकों तथा बच्चों ने इन रैलियों में प्रतिभाग किया।

5. दिनांक 9/7/2001 को विकास खण्ड सोहॉव, बैरिया एवं मुरलीछपरा में स्कूल चलो अभियान की रैलियां आयोजित की गयी एवं वातावरण सृजन किया गया।

6. जनपद स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु सतत् प्रयास किये गये। मीना कैम्पेन का आयोजन किया गया। कला जत्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये तथा समर कैम्प के द्वारा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को पनुः विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए गये हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना के नियोजन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के निर्माण में पूर्णतः विकेन्द्रीयकृत प्रणाली को व्यवहार में लाया गया है। इस कार्य में जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है। वह निम्नवत है–

1. सर्वप्रथम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक नियेाजन टीम का गठन किया गया है। इस टीम में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, दुवहर ए० बी० एस० ए० हनुमानगंज, एस०डी०आई० नवानगर, पनुह लेखाधिकारी डी० पी० ई० पी० के अतिरिक्त जिला समन्वयक बालिका शिक्षा जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा जि० स० सामुदायिक सहभागिता एवं जि० स० प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।

2. उपर्युक्त गठित समिति प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाइनार के निर्देशन में कार्य करने हेतु निर्देशित की गई।

3. कार्यक्रम के नियोजन से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर शिक्षकों एवं प्रबुद्ध ग्रामीणों के साथ बैठक की गई तथा शिक्षा के प्रति समुदाय की सोंच अपेक्षायें एवं आवश्यकताओं की परिचर्चा की गई। इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान का स्वरूप कैसा हो? इस तथ्य पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला स्तर पर पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान की गई। परियोजना की गतिविधियों के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी जिला समन्वपर/वैकल्पिक शिक्षा एस०डी०आई(पन्दह ने तथा प्रवक्ता डायट, ने दिनांक 6–7 नवम्बर 2001 को राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेंट) इलाहाबाद में नियोजन पूर्व प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया।

इस प्रशिक्षण के पश्चात् जिला पर्स पेक्टिव प्लान बनाने के पूर्व जिला स्तर पर व्यापक विचार मन्थन किया गया। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य लक्ष्य एवं विशेषताएं प्रचारित एवं प्रसारित की गई। समाज के निचले स्तर तक यह संदेश पहुँचाया गया कि इस अभियान का क्रियान्वयन समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से किया जायेगा। ग्राम पंचायतें तथा ग्राम शिक्षा समितियों को इसके नियोजन, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण का अधिकार होगा तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन सहित पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भी इन्हीं कार्यदायी संसीओं के पास रहेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में नियोजन पूर्व बैठकों की श्रृंखला आयेाजित की गई। विकास खण्डवार इन बैठकों की गतिविधियाँ निम्न प्रकार रही।

1. तहसील सदर

बेलहरी विकास खण्ड में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2001 को ब्लाक संसाधन केन्द्र पर समस्त शिक्षकों, समन्वयक, सहससमन्वयक तथा न्याय पंचायत समन्वयकों की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा से सभी को परिचित कराया गया तथा इसके लक्ष्य उद्देश्य एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई। इसी के साथ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त अध्यापकों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम स्तर तथा न्याय पंचायत सतर पर जनप्रतिनिधियों के साथ एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय शैक्षिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें एवं उने निदान के सुझाव प्राप्त करें। इन बैठकों के निष्कर्ष विकास खण्ड स्तर पर संकलित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 25.11.2001 को ब्लाक स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में व्यापक चर्चा की गई।

विकास खण्ड सोहाँव तथा गड़वार में दिनांक 19.11.2001 को खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त शिक्षक तथा समन्वयकों की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की विकास खण्ड की आवश्यकता के अनुसार योजना निश्चित की गई। इस बैठक में असेवित बस्तियां में प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थपना पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार केन्द्र खोलने की सूची तैयार की गई। विकास खण्ड सोहाँव में विद्यालयों के सापेक्ष अध्यापकों की अत्यन्त कमी है। समस्त जनप्रतिनिधियों ने बाताया कि यदि उनके विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाये तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता हे। सुझाव के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान की योजना में अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी तथा असेवित क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खेले जायेंगे।

विकास खण्ड दुबहर जनपद बलिया का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जागरूक जनप्रतिनिधियें, शिक्षकों एवं अधिकारियों की दिनांक 20.

11.2001 को सम्पन्न बैठक में सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में भी असेवित क्षेत्रों में विद्यालय/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खेलने के प्रस्ताव प्राप्त किये गये। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बण्डा ने समुदाय से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया एवं समस्त अध्यापकों को निर्देशित किया कि वे समुदाय के सतत् सम्पर्क में रहे तथा क्षेत्र विशेष की आवश्कता अनुसार शैक्षिक नियोजन में सहयोग प्रदान करें।

तहसील रसड़ा

इस तहसील के अन्तर्गत रसड़ा तथा चिलकहर विकास खण्ड आते हैं। दिनांक 20.11.2001 को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ब्लाक स्तर पर बैठकें आयोजित की गई तो अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उनके शाला त्याग की दर को न्यून करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इन बैठकों में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के समस्त शिक्षक समन्वयक सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक सहित बड़ी मात्रा में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यस उपस्थित रहे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन में इन विकास खण्डों के प्रत्येक न्याय पंचायत पर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बैठकें आयोजित की गई तथा उनमें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने सहित नवीन विद्यालयों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

तहसील बेल्थरा रोड़

सर्व शिक्षा अभियान क़े सन्दर्भ में इस तहसील के विकास खण्ड सीयर तथा नगरा में नियोजन पूर्व बैठकें आयोजित की गई। विकास खण्ड नगरा तथा सीयर में दिनांक 21.11.2001 को ब्लाक स्तरीय बैठक में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त समस्त शिक्षक समन्वयक एवं बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। इन बैठकों में भी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा से सहभागियों को अवगत कराया गया। विशेष रूप से विकास खण्ड की असेवित बस्तियों के बारे में

चर्चा की गई तथा प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित करने की योजना तैयार की गई।

तहसील सिकन्दरपुर

सर्व शिक्षा अभियान की नियोजन प्रक्रिया के पूर्व इस तहसील के पन्दह, नवानगर तथा मनियर में विशेष बैठकें आयोजित की गई। इस तहसील के मनियर विकास खण्ड में आध्यापकों की कमी की समस्या है। सभी विकास खण्डों में दिनांक 21.11.2001 को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ब्लाक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक, समन्वयक, सहसमन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

जनपद स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अर्न्तगत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
10.11.01	विकास भवन बलिया	1. जिलाधिकारी	जिलाधिकारी महोदय की
		2. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई
		3. जिला विकास अधिकारी	जिसमें ———
		4. अपर जिला अधिकारी	1. विद्यालयों में शिक्षकों की
		5. उप जिलाधिकारी	उपस्थिति सुनिश्चित करने
		6. बेसिक शिक्षाअधिकारी	पर बल दिया गया शिक्षकों से
		7. समस्त वि0 खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी	अपील की गई गुणवत्तापरक शिक्षण कार्य करें।
		8. समस्त स0 बे0 शि0 अ0/प्र0 उ0 वि0 नि0	2. विद्यालय भवनों, अति0 कक्षा कक्ष भवन आदि निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकानुसार अति शीघ्र पूर्ण करने हेतु ग्रा0 प्र0, प्र0 अ0 को निर्देशित किया गया।
			3. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सम्बन्ध में सभी को बैठक में अवगत कराया गया। इस अभियान अन्तर्गत बालिका शिक्षा से अधिक के प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अधिकतम विद्यालय खोलने पर बल दिया जाय।

			4. छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति उन्हें अविलम्ब वितारित कर देने पर जोर दिया गया।
			5. ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें आयोजित कर उन्हें जागरुक करने हेतु प्रकाश डाला गया। यह प्रायः प्रतीत हो रहा है कि ग्रा0 शि0 समिति अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं है। जनपद में बालिका शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 की शिक्षा हेतु विद्यालयों की उपलब्धता कम है। जिसके लिए स्थान निर्धारित किये जायं।
20.11.01	जिला परियोजना कार्यालय	1. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी 2. सहायक बे0 शिक्षा अधिकारी 3. खण्ड विकास अधिकारी 4. प्राचार्य डायट 5. जिला समन्वयक 6. ब्लाक समन्वयक	1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रार्चाय डायट पकवाइनार ने सर्व शिक्षा अभियन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया तथा प्रत्येक विकास खण्ड एवं न्यायपंचायत स्तर पर बैठकें कर सर्व साधारण को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अवगत कराने हेतु, निर्देशित किया गया कि जन सामान्य से प्राप्त सुझावों को जनपद स्तर पर उलब्ध करावें।
			2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष बैठकें आयोजित कर के उच्च प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता ज्ञात की जाय।
			3. सभगार में उपस्थित कुछ

			प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक अवरोधों के स्थानों पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

विकास खण्ड स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
12.11.01	पूर्व माध्यमिक वि0 नवानगरं	1. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष 2. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 3. न्याय पंचायत के प्रधान 4. समन्वयक, सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत स्तरीय समन्वयक	सर्वशिक्षा अभियान के बारे में सभी को पूर्ण जानकारी करायी गयी आपसी विचार विमर्श करने के फलस्वरूप निम्न विचार प्राप्त हुए–
			1. बालिका शिक्षा पर अभिभावक कम ध्यान देते हैं। जिसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
			2. पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं का विवाह कम आयु में हो जाता है। जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। अभिभाव को में जागरूकता पैदा की जाय कि कम उम्र में विवाह न करें तथा उन्हीं शिक्षा पर विशेष बल दें। बालिकाओं को दूर भेजने में अभिभावक संकोच करते हैं। इसके लिए निकट पूर्व मा0 विद्यालय सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
			3. शिक्षकों से अन्य विभागीय कार्य लेने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः अध्यापकों से अन्य विभागीय कार्य न लिए जाय।

12.11.01	पूर्व माध्यमिक वि0 नगरा	1. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 2. समन्वयक बी0 आर0 सी0 3. सम0 ए0 बी0 आर0 सी0 4. सम0 एन0 पी0 आर0 सी0 5. ग्राम प्रधान समस्त 6. प्र0 अ0 समस्त	सुझाव प्राप्त 1. शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2. एकल अध्यापकीय विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियेाजित किये जाय। 3. ग्रा0 शि0 समिति को सजग एवं विकसित किया जाय। 4. शिक्षक अभिभावकों के बीच आपसी तालमेल की कमी को दूर किया जाय।
15.11.01	प्राथमिक विद्यालय गडवार	खण्ड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सहायक बेसिक शि0 अधि0 प्रा0 शिक्षक संघ अध्यक्ष के वि0 प्र0 अ0 अन्य अध्यापक	सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्ध में बैठक हुई जिसमें विचार विमर्श हुआ जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए– 1. न्याय पंचायत कांठ विकास खण्ड में अल्प संख्यक एवं अनु0
		ब्लाक समन्वयक ब्लाक सह समन्वयक न्यायपंचायत स्तरीय समस्त समन्वयक ग्रा0 पं0 विकास अधिकारी ग्राम प्रधान	जाति बाहुल्य है। अतः इस न्याय पंचायत में सर्व शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुझा दिया गया। 2. चूंकि अभिभावक आलिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें विद्यालय भेजने में संकोच करते हैं। जिससे बालिकाएं शिक्षा में पीछे है। अतः जू0 हा0 स्कूल स्तर के विद्यालय अधिक खोले जाय जिससे बालिकाओं की विद्यालय दूरी कम हो तथा विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति से भी बालिका शिक्षा

			में सुधार किया जा सकता है।
			3. विभागीय मान्यतानुसार असेवित बस्तियों में भी प्राथमिक विद्यालय को भी खोला जाय जिससे सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके।
			4. अन्य विभागीय कार्य अध्यापकों से लेने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः उनसे गैर

न्याय पंचायत स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अर्न्तगत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
16.11.01	फेफना	प्रतिभागी संख्या 5	1. सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया।
			2. बढ़ती बच्चों की आवश्यकता के आधार पर विद्यालय उपलब्ध नहीं है नये प्रस्तावित किये जायं।
16.11.01	बांसडीह सुखपुरा	प्रतिभागी संख्या 30	बच्चों के शत् प्रतिशत नामांकन हेतु अभिभावकों के जागरूकता में कमी। प्रेरित किया जाय।
16.11.01	खेती	प्रतिभागी संख्या 15	नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है प्रस्तावित किया जाय।
16.11.01	गड़वार	प्रतिभागी संख्या 30	1. विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कराया जाय। जिससे शिक्षण प्रभावी हो।
			2. सभी ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय योगदान नही करती हैं। जागरूकता पैदा की जाय। विभगीय कार्य न लिये जाय जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी हो सके।
			विभागीय कार्य न लिये जाय जिससे

			शिक्षण कार्य प्रभावी हो सके।
			5. वि0 ख0 मे उन्नीस एकल अध्यापकीय विद्यालयों मे कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जाय।
			6. विद्यालयों में जन सहभागिता हेतु अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठक करायी जाय जिससे छात्र नामांकन एवं ठहराव आदि में सुधार हो सके।
19.11.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पचखोरा, हल्दी भीमपुरा	समन्वयक न्याय पंचायत ग्राम प्रधान अभिभावक प्र0 अ0	1. न्याय पंचायत में भौगोलिक दृष्टिकोण से आवागमन हेतु रास्ता सर्व सुलभ नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे बच्चों को आने जाने में सुविधा हो।
			2. न्याय पंचायत अल्पसंख्यक एवं अनु0 जाति बाहुल्य है यहां पूर्व मा0 वि0 एवं0 प्रा0 वि0 मानकानुसार खेले जाये। यह न्याय पंचायत वि0 ख0 का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है।
			3. शिक्षकों पर सूचनाओं एवं गैर विभागीय कार्यो का बोझ अधिक रहता है। कम किये जा ने की आवश्यकता है।
			4. शिक्षा को रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है।
19.11.01	पूर्व मा0 वि0 सिकरिया कला	ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य समन्वयक न्याय पंचायत प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 सेवा निवृत्ति प्र0 अ0 ग्राम शिक्षा समिति सदस्य अध्यक्षा, महिला प्रेरक समूह ग्राम वासी	1. 3 किमी0 कीदूरी एवं जनसंख्या आधार पर पूर्व मा0 वि0. खो ले जाने का सुझाव दिया गया इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत उदना में, एक पूर्व मा0 वि0 खोलने हेतु प्रस्ताव किया गया। 2. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभवक उदासीन रहते हैं। उन्हें प्रेरित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। 3. बाल विवाह शिक्षा में बाधक है। इस कुरीति की समाप्ति के सम्बन्ध में अभिभावकों को समझाया जाय।

			4. हर वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति न दिये जाने से अपवन्चित वर्ग के बच्चों/अभिभावकों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।
			5. शिक्षा को अनिवार्य घोषित करने के कारण भी अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने में विशेष रूचि नहीं रखते हैं।
19.11.01	जू० हा० स्कूल, हल्दी	ग्राम प्रधान प्र0 अ0/ इ0 प्र0 अ0 स0 अ0 शिक्षा मित्र समन्वयक न्याय पंचायत	1.निम्नलिखित कारणों से अभिभावक/बच्चे विशेषकर बालिकायें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है :– 1. अभिभावक बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं।
			2. गरीबी कारण से बच्चों से घरेलू कार्य लिया जाता है।
			3. बाल विवाह, दहेज प्रथा बच्चों की शिक्षा में बाधा है।
			4. धार्मिक मान्यतायें बालिका शिक्षा में बाधक है।
			5. बालिका विद्यालयों का न्रहोना
			6. बालिकाओं की सामाजिक असुरक्षा की समस्या
			7. लड़कियो को दूसरी सम्पत्ति मानने की मानसिकता के कारण अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि न होना।
			8. छात्रवृत्ति प्रोत्साहन सभी वर्ग के बच्चों को न दिया जाना।
			9. शिक्षा अनिवार्य घोषित न होना
			2. नवीन जूनियर हाई स्कूल ग्राम पंचायत बसखेड़ा खुर्द में खेलने का प्रस्ताव किया गया।
20.11. 2001	प्रा0 वि0 सुरेमनपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक न्याय पंचायत	1. अभिभावकों, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता है।

		प्र0 अ0 / इ0 प्र0 अ0 स0 अ0	
			2. 3 किमी0 दूरी एवं जनसंख्या आधार तथा आवश्यकतानुसार पूर्व मा0 वि0 खोलने हेतु सूझाव दिये गये।
20.11.01	ना० वि० केमरा	उप प्रधान प्र0 अ0 इ0 प्र0 अ0 स0 अ0	1. सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नवीन पूर्व मा0 विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता बैठक में बतायी गयी जिसके क्रम में ग्राम मोहनपुर में एक पूर्व मा0 वि0 प्रस्तावित किया गया।
			2. बालिका साक्षरता प्रतिशत की कमी की समस्या के प्रति गम्भीरता से बैठक मे विचार विमर्श किया गया। जिसके फलस्वरूप असुरक्षा बाल विवाह, धार्मिक मान्यतायें, विद्यालयों का अधिक दूरी पर होना बालिकाओं के अनुकूल विद्यालयों में प्रशाधन आदि की समुचित व्यवस्था न होना, बालिकाओं को दूसरे परिवार की सम्पत्ति समझना आदि कारण उभर कर स्पष्ट हुये। उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु सकारात्मक प्रचार–प्रसार एवं शिक्षा की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाय।
21.11.01	जू० हा० स्कूल, सोनाडीह	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0 / इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय। 2. शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाय। 3. अभिभावक अपने बच्चों को घर के काम काज में व्यस्त न रखें इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाय।
22.11.01	जू० हा० स्कूल, मनियार	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0 / इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0	1. शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 3. बालिकाओं के प्रति अभिभावकों में

		वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	असुरक्षा की भावना समाप्त करने पर विशेष बल दिया जाय।
23.11.01	प्रा० वि०, कटनीपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जाय जिसमें एक महिला हों।
			2. महिला अध्यापिका न होने पर शिक्षा मित्र महिला हो जिससे बालिकाओं का नामांकन अधिक हो सके।
23.11.01	जू० हा० स्कूल, बेरूआरबारी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है इसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का अधिकतम् प्रयास किया जाय। 2. शिक्षा के साथ–साथ शिल्प का भी ज्ञान कराया जाय। 3. सामाजिक रूढ़ि वादिता समाप्त करने के लिए धार्मिक लोगों के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाय।
24.11.01	प्रा० वि० शिवपुर दीयर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाय। 2. ग्राम पंचायत नत्थीपुर में पूर्व मा0 वि0 की आवश्यकता है पूर्ति की जाय। 3. बालिका शिक्षा के लिए मीना कम्पेन, नुक्कड़ नाटक, फिल्म, शिविर तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाय।
26.11.01	प्रा० वि० सरायभारती	ग्राम प्रधान समन्वयक	बालिका विद्यालय की कमी, निर्धनता, अशिक्षा आदि

		प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	स्कूलों की संख्या बढ़ायी जाय विद्यालय में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय।
27.11.01	जू० हा० स्कूल, रतसड़	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	विद्यालय की कमी अभिभावकों का शिक्षा के निर्धनता आदि। प्राकृतिक अवरोध के कारण वैकल्पिक केन्द्र एवं नये विद्यालयों को खोला जाना चाहिए। छात्रवृत्ति सभी छात्रों को मिलना चाहिए।
27.11.01	जू० हा० स्कूल, खेजुरी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के	1. शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्र एवं शिक्षकों द्वारा पूरा किया जायगा 2. नागरिकों का सहयोग न मिलना, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर उनके अधिकार व कर्तव्यों का बोध कराया जायेगा।

		सदस्य	
28.11.01	प्रा० वि० पकड़ी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अन्य गणमान्य व्यक्ति	परम्परागत रूढ़िवादिता, अशिक्षा, प्रभावी निरीक्षण में कमी, छात्रवृत्ति वितरण में भेद भाव आदि। सभी समस्याओं पर विचार किया गया इसके खण्डन के लिए जन जागरण की आवश्यकता है।
26.10.01	प्रा० वि० बेलहरी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	शिक्षा का रोजगार परक न होना शिक्षा के प्रति उदासीनता, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्रों द्वारा पूरी की जायेगी। शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जायेगी।
28.11.01	प्रा० वि० नवानगर	ग्राम प्रधान समन्वयक	अभिभवकों की गरीबी एवं उनकी अशिक्षा, जनसंख्या का घनत्व

		प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	आदि इस सन्दर्भ में कई सुझाव आये और लोगों को बताया गया।
29.11.01	जू० हा० स्कूल, सोहाँव	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभवकों की निर्धनता एवं अशिक्षा, प्रोत्साहन की कमी, उक्त सन्दर्भ में छात्रवृत्ति वितरण सभी वर्ग के निर्धन छात्रों को किया जाना चाहिए। बाल पोषाहार का वितरण नियमित होना चाहिएं।
29.11.01	जू० हा० स्कूल, बेरियां	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के	विद्यालय में शिक्षकों का अभाव जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि छात्रवृत्ति सभी बच्चों को न मिलना। उक्त समस्या के सामाधान में लोगों जागरित किया जाय। उन्हें जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों को बताया जाय। छात्रवृत्ति

		सदस्य	वितरण वर्ष में एक बार न देकर प्रत्येक माह में दिया जाय।
30.11.01	जू० हा० स्कूल, सहतवार	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	विद्यालय की कमी, अध्यापकों की कमी शिक्षा मित्र से पूरा किया जाय। विद्यालय में चहारदीवारी का अभाव है।
01.12.01	पूर्व मा0 वि0 जीरा बस्ती	अध्यक्ष जि0 पं0 स0 बे0 शि0 अधिकारी ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाय। 2. अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति का सयोग न मिलना इस सन्दर्भ में ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जायेगा। जिससे उनको अधिकार, कत्तव्यों का बोध होगा।

			3. निर्धनता, इस सन्दर्भ में छात्र वृत्ति एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण की व्यवस्था।
			4. शिक्षा का रोजगार परक न होना, व्यवसायिक शिक्षा हेतु काष्ठशिल्प, चर्म उद्योग की व्यवस्था।
			5. बालिका विद्यालय का अभाव बालिका विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए।
01.12.01	जू० हा० स्कूल, करनई	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0 अ0/इ0 प्र0 अ0 प्रा0 एवं0 पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों की गरीबी, अशिक्षा, छात्रवृत्ति में असमान्ता, पोषाहार का वितरण न होना सभी बच्चों को छात्र वृत्ति एवं पोषाहार नियमित मिलना चाहिए।
03.12.01	प्रा० वि०, शकरपुर	ग्राम प्रधान प्र0 अ0 प्रा0 वि अन्य गणमान्य व्यक्ति	बालिका विद्यालय की कमी, निर्धनता, अशिक्षा 800 की आबादी एवं 3 प्रा0 वि0 पर एक जू0 हा0 स्कूल खोला जाना चाहिए।
03.12.01	प्रा० वि०	प्रतिभागी सं0 10	1. विकास खण्ड में आवागमन साधनों की

	सलेमपुर		कमी है। ध्यान देने की आवश्यकता है। भौगोलिक अवरोधों की कमी की आवश्यकता है।
			2. छात्र नामांकन करवाने के बाद पाठशाला त्यागी हो जाते हैं। अतः उनके ठहराव हेतु अभिभावकों को प्रेरित एवं जागरूक किया जाय।
04.12.01	प्रा० वि०, कोटवारी	ग्राम प्रधान समन्वयक न्यायपंचायत सदस्य ग्राम पंचायत अभिभावक सेवा निवृत्त अध्यापक ब्लाक सह समन्वयक प्र0 अ0 / स0 अ0	1. ग्रा0 शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावकों की सभी बच्चों का नामांकन के बाद ठहराव के प्रति रूचि कम रहती है अतः उन्हें सजग, सक्रिय, जागरूक किया जाय। 2. आवश्यकता के आधार पर पूर्व मा0 वि0 एवं प्रा0 वि0 मानकानुसार नवीन खेले जांय।
			3. आंगन बाड़ी केन्द्रो की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया जाय।
			4. छात्रों की उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा छात्र वृत्ति,
			निःशुल्क पाठ्य पुस्तके समय पर उन्हें उपलब्ध करा देने से शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो रहा है पोषाहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

05.12.01	प्रा० वि० भिढ़ढ़ा	प्र0 अ0 आचार्य मान्यता प्राप्त प्र0 अ0 न्याय पंचायत समन्वयक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य	1. जिन छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक वितरित नहीं की गई हैं। उन्हें तत्काल वितरित किया जाय जिससे छात्रों के विद्यालय ठहराव पर प्रभाव पड़े। 2. विद्यालय में छात्रों को नियमित भेजने में अभिभावक रूचि नहीं लेते हैं। एवं जागरूक नहीं है। इसके लिए ग्रा0 शि0 समिति एवं अभिभावकों को प्रेरित किया एवं जागरूक किया जाय।
06.12.01	प्रा0 वि0 छाता	प्र0 अ0 समन्वयक न्याय पंचायत ग्राम प्रधान अन्य अध्यापक	1. विद्यालय में अध्यापकों की कमी है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हैं। 2. गरीबी के कारण काफी परिवारों के बच्चे घरेलू एवं व्यवसायिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।
			3. इनके लिए रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया जाय।
			4. 1:40 अनुपात अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय।
			5. शिक्षकों से गैर विभागीय कार्य न लिए जांय।
07.12.01	प्रा० वि० शाहपुर	ग्राम प्रधान अध्यापक समन्वयक, न्याय पंचायत ग्राम वासी	विद्यालय दूर होने के कारण 11–14 वय वर्ग की बालिकाएं एवं बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। अतः उनके लिए नवीन उच्च प्रा0 विद्यालय खेले जायं।
10.12.01	प्रा० वि०, चरौवा	समन्वय न्यायपंचायत समस्त प्र0 अ0 न्यायपंचायत ग्राम प्रधान ग्राम पं0 सदस्य	1. विभगीय मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व मा0 विद्यालय खोले जांय, जिससे सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके। 2. न्याय पंचायत में अल्प संख्यक बहुलता है। अतः इन बच्चों के हिसाब से सर्व

		अभिभावक	शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। 3. अध्यापकों की 1:40 अनुपात अध्यापक कम है पूर्ण किया जाय।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विभागों से समन्वय

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

जनपद बलिया में तीन विकास खण्डों रसड़ा, चिलकहर तथा दुबहर में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रो के संचालन के लिए अवस्थापना सुविधा तथा शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करने हेतु प्रत्येक केन्द्र को रु0 5000/– तथा रु0 1500/– प्रदान किये गये है। यह धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातो में अन्तरित करा दी गई हैं। सम्बन्धित समितियां अपने स्तर से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इस धन का व्यय कर रहीं हैं। जिला स्तर पर जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के मध्य बेहतर समन्वय के द्वारा कार्य सम्पादित हो रहा है।

स्वास्थ्य विभाग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की योजना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रति छात्र स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में राजकीय चिकित्सकों की सेवायें ली जा रही हैं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पेालियां कार्यक्रम एवं अन्य प्रतिरक्षण

कार्यक्रमों में अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सुन्दर समन्वय स्थापित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

राज्य सरकार की योजना के अनुसार अनुसूचित /जनजाति/विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना चल रही है। इस योजना में प्राथमिक स्तर पर रु0 300/– एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर रु0 480/– प्रत्येक बच्चे को प्रदान किये जाते है। विकलांग बच्चों एवं अस्वच्छ पेशा वाले बच्चों को रु0 900/– प्रति छात्र प्रदान करने की योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन अध्यापको के सहयोग से ही सुनिश्चित किया जा रहा है। अतः समाज कल्याण विभाग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे है।

ग्राम पंचायत

प्राथमिक शिक्षा के नियोजन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण में ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि का नियंत्रण ग्राम शिक्षानिधि खातें के द्वारा किया जाता है। इस खातें में प्रत्येक वर्ष विद्यालय अनुदान निधि की धनराशि भेजी जाती है, जिसका व्यय ग्राम पंचायत की सहमति से ही किया जाता है। जब किसी ग्राम पंचायत में नवीन विद्यालय की स्थापना की जाती है तो भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्ध समिति ही करती है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में है तथा उसका ग्राम पंचायतों से बेहतर समन्वय है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को मध्यान्ह भोजन देने की योजना चल रही है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले बच्चों को 3 कि0 ग्रा0 प्रति छात्र/छात्रा पोषाहार देने की व्यवस्था है। बच्चों को यह आपूर्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयो से की जा रही हैं

उत्तर प्रदेश जल निगम / यू0 पी0 एग्रो

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/ छात्राओं के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम तथा यू0 पी0 एग्रो की सेवाएं ली जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयुक्त वर्णित सभी विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाये रखते हुए योजना के क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा। इन विभागों को शिक्षा विभाग से जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होगी उन्हें प्रदान करते हुए बेहतर द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे।

जनपद बलिया में सर्व शिक्षा अभियान लागू करने से पहले ग्रास रूट लेबिल तक सभी संस्थाओं से संवाद स्थापित किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य उद्देश्य एवं विशेषताएं स्पष्ट करते हुए निचले स्तर पर आधारभूत आवश्यकताओं का ऑकलन किया गया है तथा जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार मानक स्तर पर विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है। प्रायः सभी ग्राम पंचायतों से अध्यापको की कमी के कारण शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आने की बात स्वीकार की गयी है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 के मानक स्तर पर लाने हेतु वार्षिक कार्य योजना में प्रबन्ध किया जा रहा है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापकों की माँग भी निचले स्तर पर की गयी है। इस माँग को भी पूरा करेन का इस अभियान में ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्यापक को उसकी संख्या के अनुपात में कक्षा कक्ष मिल सकें। ऐसी व्यवस्था भी इस वार्षिक कार्य योजना में की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर यदि नियमित अध्यापक न मिल सके तो उनकी प्रतिपूर्ति शिक्षामित्रों के चयन द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

मूलभूत विशेषताएं

इस अभियान के अन्तर्गत विद्यालयीय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना भी इस अभियान की मूलभूत विशेषता है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को लिंग भेद एवं जाति भेद से ऊपर उठकर क्षमता विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान क्या है?

1. इस अभियन के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक स्पष्ट एवं समय बद्ध कार्यक्रम रखा गया है।
2. इस अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता कायम करना एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. निचले स्तर तक की संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति, नगरीय शिक्षा समिति, अध्यापक अभिभावक संघ, माता अभिभावक संघ के द्वारा नियेाजन एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी की जाएगी।
4. इस अभियान के द्वारा समस्त भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति की गयी है।
5. यह योजना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए संचालित की जाएगी।
6. इस अभियान के द्वारा केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

1. 16–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2010 तक की सीमा आउटर लिमिट होगी।

2. सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी विषमताओं को दूर करना भी इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है।

3. पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए 6–14 आयु वर्ग की सीमा का विस्तार करते हुए इसे 0–14 आयु वर्ग करना तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रम को समर्थन एवं प्रोत्साहन देना भी इस योजना का लक्ष्य है। जहाँ आई0 सी0 डी0 एस0 केन्द्र संचालित नहीं हो रहे हैं, वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयीय सेवा उपलब्ध कराने की योजना है।

केन्द्र द्वारा दिशा निर्देश के स्थान पर ढ़ाचा प्रदान करना

1. जिससे राज्य अपनी आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश तय कर सके।

2. जिससे जनपद अपनी स्थानीय विशेषताओं/आवश्यकताओं का समावेश कर सके।

3. जिससे स्थानीय तथा आवश्यकता जनित योजना का निर्माण ले सके।

4. जिससे योजना निर्माण को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान की विस्तृत रणनीतियाँ

1. प्रदान किये जाने वाले विभिन्न अवयवों के प्रभावी निष्पादन हेतु संस्थागत ढ़ाचें में आवश्यक परिवर्तन।

2. कार्यक्रम को सस्टेनऐबिल बनाने हेतु केन्द्र तथा राज्यों के बीच लम्बी अवधि का करार।

3. कार्यक्रम के प्रति समुदाय में ओनरशिप पैदा करने के लिए प्रभावी विकेद्रीयकरण

4. संस्थागत दक्षता संवर्द्धन हेतु नीपा, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, एन0 सी0 टी0 ई0, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0, सीमैट तथा डायट जैसी संस्थाओं का विकास जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास तथा उसे सतत् बनाये रखने में सहयेाग मिल सके।

5. पूर्ण पारिदर्शिता के साथ समुदाय आधारित अनुश्रवण, ई0 एम0 आई0 एस0 तथा माइक्रो प्लानिंग के आंकड़ों का मिलान।

6. बस्ती को नियोजन की इकाई बनाना।

7. बालिका शिक्षा विशेषकर अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ अल्पसंख्यक को प्राथमिकता।

8. विशेष समूह के बच्चों पर ध्यान–झुग्गी–झोपड़ी, अपवंचित, विकलांग आदि।

9. प्रोजेक्ट पूर्व क्रियाकलाप–प्रोजेक्ट निर्माण से पूर्व सुनियोजित क्रियाकलाप, घर–घर सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण, समुदाय का प्रशिक्षण, परीक्षण अध्ययन जनजागरण आदि।

10. गुणवत्ता शिक्षा पर बल–उपयोगी एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम निर्माण, बाल केन्द्रित एंव प्रभावी शिक्षण अधिगम क्रियायें।

11. अध्यापक की भूमिका पर बल– योग्य अध्यापकों का चयन तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिए बी0 आर0 सी/ सी0 आर0 सी0 का निर्माण, पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री विकास में उनका योगदान, शैक्षिक भ्रमण आदि के माध्यम से जागरुक बनाना।

12. जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण– उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) का निर्माण जिसमें समग्रता तथा समन्वय हो। साथ ही प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण जिसमें क्रियाकलापों की प्राथमिकतायें तय हो एव पूर्व की सफलताओं एवं गलतियों से सीखने की बात हो।

सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी एवं निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में निजी संस्थाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी एवं निजी तंत्र किन–किन क्षेत्रों में सहयोग व साझेदारी कर सकते हैं। इसकी सम्भावना को तलाशना। राज्य निजी संस्थाओं के अध्यापकों को डायट के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक नीति बना सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय मानक

योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य अंशदान
नवीं	1997–2002	85:15
दसवीं	2002–2007	75:25
ग्यारहवीं	2007–2012	50:50

1. राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय के स्तर को वर्ष 1999–2000 के आधार पर बनाये रखना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों का अंश उपर्युक्त व्यय के ऊपर होगा।

2. केन्द्र की प्रथम किश्त को छोड़कर अन्य किश्त तभी जारी होगी जब प्रत्येक बार के केन्द्र राज्य अंश राज्य क्रियान्वयन समिति को स्थानान्तरित कर दिये जायेगें।

3. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापको का वेतन अंश उपर्युक्त सारणी के अनुसार केन्द्र व राज्यों द्वारा वहन किया जायेगा।

4. बाह्य एजेन्सियों द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम तब तक जारी रहेंगे जब तक उनके परामर्श से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता।

5. राष्ट्रीय बाल भवन, एन0 सी0 टी0 ई0 तथा मिडडे मील योजना के अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़ी सभी याजनाओं को नवीन योजना के बाद एस0 एस0 ए0 में समाहित कर दिया जायेगा।

6. जिला शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न संसाधनों /फंडस, पी0 एम0 जा0 वाई, पी0 एम0 आर0 वाई0, सांसद/ विधायक फण्ड आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

7. विद्यालय विकास, मरम्मत, शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय आदि तथा स्थानीय प्रबन्धन से सम्बन्धित निधियों की स्थानीय प्रबन्धन समितियां (वी0 इ0 सी0, एम0 टी0 ए0, पी0 टी0 ए0 आदि) को स्थानान्तरित करना।

8. प्रोत्साहन की अन्य योजनायें, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि जो राज्यों द्वार चलाई जा रहीं हैं, जारी रहेगी तथा एस0 एस0 ए0 द्वारा इनकी फंडिंग नहीं की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यह विद्यालय वैकल्पिक एवं नवाचार विद्यालय, शिक्षागारण्टी केन्द्र, समर कैम्प, बिज कोर्स आदि किसी भ्झी प्रकार के हो सकते हैं।

2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कराना।

3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराना।

4. सन्तोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5. लिंग तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010 तक समाप्त करना है।

6. वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्राप आउट रेट शून्य तक लाना तथा रिपीटेशन समाप्त करना।

उपरोक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों को जनपद के यथावत् स्वीकार किया है इसके अतिरिक्त जनपद के निम्न लक्ष्य भी निर्धारित किये गये है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु प्रयुक्त विधा

जनपद बलिया में जनगणना निदेशालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना करायी जा चुकी है तथा इस जनगणना के आंकड़े साररूप में प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु आयु वर्ग बार विस्तृत आंकड़े अभी तक नहीं मिल सके हैं। अतः वर्ष 1991 की जनगणना तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या को आधार मानते हुए जनपद की वार्षिक वृद्धिदर का अनुमान किया जा सकता है। जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली, के माड्यूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट ऑफ ग्रोथ मेथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इससे जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.16 प्रतिशत प्राप्त हो रही हैं इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक प्रत्येक वर्ष जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गई है।

बच्चों के आयुबार प्रोजेक्शन में वर्तमान ग्रास इनरोलमेंट रेशियों को आधार मानते हुए नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेशियो मेथेड से वर्ष 2002 से 2010 तक जी0 ई0 आर0 प्रक्षेपित किया गया है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0 ई0 आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों का वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 11 से 14 वय–वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शत् प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। जब हम बच्चों को विद्यालय में नामांकित करते हैं तब कुछ बच्चे इससे अधिक आयु के भी हो सकते हैं अतः 6 से 11 तथा 11 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या से प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकित बच्चें की संख्या अधिक हो सकती है। अतः जी0

ई0 आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0 ई0 आर0 में वृद्धि अत्यन्त कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6 से 11 व 11 से 14 आयु वर्ग में बढ़ेगे लगभग उतने ही नामांकित होंगे। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक शाला त्याग की दर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार जनपद की 6–11 तथा 11–14 वयवर्ग की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् प्रक्षेपित किया गया है।–

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वर्ष के बच्चे	कुल नामांकित बच्चों की सं0	गैर परिषदीय में बच्चों सं0	परि0 वि0 में बच्चों की सं0	विद्यालय से बाहर बच्चे	जी0 ई0 आर
2001–02	410642	372806	102588	270218	37836	91
2002–03	418855	397912	117217	280395	20943	95
2003–04	434457	430706	140110	290596	3751	99.13
2004–05	435777	435777	138901	296876	–	100
2005–06	444492	444492	141917	302575	–	100
2006–07	453382	453382	143207	310175	–	100

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों

के लिए वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है इसका अर्थ यह है कि यदि बच्चा 2002 में कक्षा 1 में नामांकित किया जाता है तो वह पाँच वर्ष 2007 तक कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। वह बच्चा किसी भी स्थिति में शाला त्याग न करे और नही किसी एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक तक रुके। उच्च प्राथमिक स्तर पर यही लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर आगामी वर्षों में ड्राप आउट की दर निम्न तालिका के अनुसार नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य

वर्ष	11–14 वर्ष के बच्चे	कुल नामांकित बच्चों की सं0	गैर परिषदीय में बच्चों सं0	परि0 वि0 में बच्चों की सं0	विद्यालय से बाहर बच्चे	जी0 ई0 आर
2001–02	191354	140448	46723	93725	54906	73.40
2002–03	19529	162191	48685	113426	33068	83.06
2003–04	199244	195832	55242	140590	3412	98.29
2004–05	203229	203229	56251	146978	—	100
2005–06	207293	207293	57375	149918	—	100
2006–07	211439	211439	58523	152916	—	100

ड्राप आउट तथा ठहराव (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव–लक्ष्य
2001–02	36%	64%
2002–03	25%	75%
2003–04	12%	88%
2004–05	0	100%
2005–06	0	100%
2006–07	0	100%

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी तथा इसके आँकड़ों के आधार पर आगामी वर्षों की कार्य योजना में आवश्यक संसोधन तथा परिवर्तन आदि कर लिए जाएंगे।

ड्राप आउट तथा ठहराव (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

ठहराव के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन एवं मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष इसका अनुश्रवण कराया जाएगा। जनपद के तीन विकास खण्डों गड़वार, नगारा, बेलहरी के 5–5 उच्च प्राथमिक के आकड़े एकत्र किये गये तथा उनके विश्ले ाक के बाद ड्राप आउट ज्ञात किया गया

उच्च प्राथमिक शाला त्याग

वर्ष	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव–लक्ष्य
2001–02	14%	86%
2002–03	8%	92%
2003–04	3%	97%
2004–05	2%	98%
2005–06	0%	100%
2006–07	0%	100%

अध्याय – 5
समस्याएं एवं रणनीति

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पढ़ने की उम्र वाला प्रत्येक बच्चा विद्यालयों में नामांकित हो तथा उसे कुशल अध्यापकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाय। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यालयों के परिसर को आकर्षक बनाया जाये ताकि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ मनोरंजन भी हो और उसे विद्यालयी वातावरण रुचिकर लगे। नीरस एवं उबाऊ वातावरण से प्रतिभाशाली बच्चे का भी पूर्ण मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जनपद बलिया में अप्रैल, 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चालाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा सम्प्राप्ति विषयक अनेक प्रयास किये जा रहें तथा इन प्रयासों के सार्थक परिणाम भी सामने आये हैं किन्तु अभी तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमी करण के लक्ष्य को शत् प्रतिशत् प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई हैं किन्तु उनके विद्यालय में ठहराव को शत् प्रतिशत् सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इसी तरह हम बचों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में काफी हद तक सफल रहे है। किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की नितान्त आवश्यकता है पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों के नमाांकन, उपस्थिति तथा सम्प्रापित के बारे में विभागीय प्रयास किये जाते रहे हैं किन्तु इस क्षेत्र में कोई संगठित एवं सुनियेाजित अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है। जिसके कारण पूर्व माध्यमिक स्तर पर सुधार की व्यापक सम्भावनाये हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस अभियान की नियोजन प्रक्रिया से पूर्व ग्राम पचायत सतर से लेकर जिला स्तर तक बड़ी संख्या में सामूहिक चर्चायें

आयोजित की गई। इन चर्चाओं में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्णी समस्याओं पर विचार करते हुए उनके निदान के सुझाव प्राप्त किये गये हैं। इन्हीं सुझावां के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति तैयार की गई है। इन बैठकों में जो समस्याएं प्रमुख रूप से उभरकर सामने आयी, वे निम्नलिखित हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए जो उपाय सुझाये गये उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति में समाहित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं सम्प्राप्ति विषयक समस्याएं एवं रणनीतियां निम्न प्रकार हैं–

नामांकन विषयक समस्या एवं रणनीतियाँ

1. आर्थिक एवं सामाजिक कारण–

जनपद बलिया आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र हैं इस जनपद के साधन सम्पन्न व्यक्ति तेा अपने बच्चों को मंहगी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिला रहे हैं। किन्तु वर्षों से दलित शेाषित एवं अपवंचित वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अक्षम रहे हैं । इस वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता की कोई कमी नहीं है। विगत वर्षो में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाकर जागरुकता उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई है किन्तु आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से वे अभी भी अपने बच्चों को शिक्षा दिला नहीं पा रहे हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष प्रयास किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता अभिभावक संघ महिला मंगल दल आदि की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपवंचित वर्ग के लोागो को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजे ताकि शिक्षा प्राप्त कर बच्चे स्वयं अपना व्यवसाय कर सकें तथा परिवार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकें। विद्यालयों में शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने

का प्रयास किया जायेगा किशोरी बालिकाओं को जीवनोपयोगी शिक्षा देने के बारे में विशेष केन्द्र खोले जायेंगे।

विद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग एवं सम्प्रदाय, भेदभाव से ऊपर उठकर सभी बच्चों से समान व्यवहार करने के लिए अध्यापकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। अभिभावकों के समक्ष विद्यालय समाजिक समरसता के उत्कृष्ट उदाहरण होगें तभी वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में संकोच महसूस नही करेंगे । बालिकाओं के प्रति विद्यालयों में अच्छा व्यवहार हेागा। विकलांग बच्चों के बारे में समेकित शिक्षा के माध्यम से उपचारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जायेगा इस कार्य के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। शारीरिक रूप से चुनौती प्रस्तुत करने वाले बच्चों के साथ सम्मानपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार हम विशेष प्रयास कर बच्चों का नामांकन में अवरोधक तत्व बने आर्थिक एवं सामाजिक कारण को दूर कर सकते हैं तथा बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

2. बच्चों की पहुँच से विद्यालय का दूर होना

बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में विद्यालयों की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारक है। यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जनपद बलिया में 75 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है किन्तु अभी भी 195 ऐसी असेवित बस्तियां हैं जिनमें मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए किन्तु नहीं है। ऐसी असेवित बस्तियों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तिम वित्तीय वर्ष में विद्यालय खोलने का प्राविधान किया जा रहा है विभिन्न समूह चर्चाओं के द्वारा ऐसी असेवित बस्तियों की भी पहचान कर ली गई है जहाँ न्यूनतम 30 बच्चे उपलब्ध हैं एव उनसे 1 किमी0 की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है इन बसितयों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गारन्टी योजना/ वैकल्पिक नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्र खोलने का प्रस्ताव हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर पर असेवित

बस्तियें में 205 नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अनुपात 2:1 करने के लिए ज्ञान केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन विद्या केन्द्रों तथा ज्ञन केन्द्रो का संचालन ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा यह समितियाँ इनमें अनुदेशकों की नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगी यह अनुदेशक उसी ग्राम/ बस्ती का व्यक्ति होगा तथा इसके मानदेय का भुगतान जिला परियोजना कार्यालय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक असेवित बस्ती में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय की या तो स्थापना की जायेगी अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे की पहुंच तक शिक्षा उपलबध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 6–11 वय वर्ग के किसी बच्चे को 1.5 किमी0 तथा 11–14 वय वर्ग के किसी बच्चे को 3 किमी0 से अधिक चलकर विद्यालय न जाना पड़े तथा कोई बच्चा केवल इस कारण से विद्यालय में नामांकित होने से वंचित न रह जाये कि उसे पढ़ने के लिए उसकी पहुंच में विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

इस प्रयास के द्वारा हम बच्चों तक विद्यालय पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास बच्चों के शत् प्रतिशत् नामांकन में सहायक हेागा।

4. विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी

प्राथमिक स्तर लगभग 612 विद्यालय में शैचालय तथा 1333 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में इन सुविधाओं की कमी है। जिसके लिए प्रस्तुत योजना में व्यवस्था की गई है इसके अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक विद्यालय में चहार–दीवारी का

होना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में व्यवस्था की जा रही हैं।

समूह चर्चाओं से यह बात भी प्रकाश में आई कि विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्षा –कक्ष नही हैं। प्राथमिक विद्यालयें में प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक कक्ष अवश्य होना चाहिए किन्तु जनपद बलिया में अधिकांश विद्यालयों में 2–3 कमरे ही हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 रखते हुए आवश्यक मात्रा में शिक्षकों की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है तथा इस व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा–कक्ष की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक तथा उनके लिए 5 कक्षा–कक्षां की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हम प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करा देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सुविधाओं के अभाव के कारण कोई बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाये।

4. विद्यालयीय वातावरण का अनाकर्षक होना –

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयें का वातावरण अनाकर्षक होना भी बच्चों के नामांकन का अवरोधक तत्व है। विद्यालयों में पर्याप्त अवस्थापना सुविधओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही साथ विद्यालय की साज सज्जा के लिए भी व्यवस्था की जायेगी तथा विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

परम्परागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नवाचार युक्त बाल केन्द्रित शिक्षण पद्धति के द्वारा विद्यालयीय वातावरण को रोचक व मनोरंजक बनाने का प्रयास किया जायेगा ताकि बच्चे इन विद्यालयों के प्रति आकर्षित हो सकें।

5. बालिकाओ एवं विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के विशेष अवसर न होना–

प्रायः देखा गया है कि अभिभावक लड़कियो को दूर के विद्यालयों में पढ़ने के लिए नही भेजते हैं। लिंग भेद सहित अनेक सामाजिक कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षा के सर्वभौमीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हम ऐसी बालिकाओं तथा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास नही करेंगे। अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं में भी सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से शाला त्याग की दर अधिक रही है। ऐसी समस्त बलिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष शिविर तथा ब्रिज कोर्स के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

शारीरिक रूप से समाज के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करने वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के द्वारा विशेष प्रयास किया जायेगा। इस नई विधा से शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसके लिए जनपद की वार्षिक कार्ययोजना में विशेष प्राविधान किया जा रहा है। ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु अधिक हो गई है तथा जिन्होंने कभी विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की है को महिला शिक्षिकाओं द्वारा संचालित विशेष शिविरों में पढ़ाया जायेगा तथा उन्हें जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने की दीक्षा भी दी जायेगी। विकलांग बच्चों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए विशेषज्ञों की सेवायें भी ली जायेंगी तथा ऐसे बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा।

ठहराव विषयक समस्यायें एवं रणनीतियाँ

बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो जाने के पश्चात उनका ठहराव न हो पाना शिक्षा के सार्व भौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख अवरोधक तत्व हैं। विभिन्न समूह चर्चाओं में इस बात पर विचार किया गया कि बच्चों के विद्यालय में हराव न होने तथा उनके शाला त्याग करने के पीछे करने के पीछे

कया कारण है तथा इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, जो प्रमुख कारण उभरकर सामने आये, वे निम्न हैं–

1. शिक्षण पद्धतियों का अप्रासंगिक होना

वर्तमान परिवेश में शिक्षण पद्धतियाँ अप्रासंगिक होने के कारण भी अधिकोंश बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। अधिकतर विद्यालय में शिक्षक बच्चों को रटाने पर ज्यादा बल देते हे। तथा उन्हें विषय वस्तु के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों को प्राथमिक स्तर पर नवीन शिक्षण विधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वे इन विधियों का उपयोग कक्षा शिक्षण में कर भी रहें हैं। इन शिक्षकों को प्रतिवर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में व्यवस्था की जा रही है। पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया हैं। इन अध्यापकों को भी नवीन विधियां से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

2. शिक्षकों का व्यक्तिगत व्यवहार

कभी–कभी शिक्षकों का छात्र विशेष के प्रति व्यवहार भी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए प्रेरित कर देता है। अध्यापकों को इस बात का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा कि वे सभी बच्चों से समान एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। बच्चें तभी विद्यालय में रुकेंगे जब उन्हें शिक्षक एक दंडाधिकारी न प्रतीत होकर एक मार्ग दर्शक एवं शुभचिन्तक लगेगा। अध्यापकों को इस बात का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। कि वे बच्चों द्वारा गलतियाँ करने पर किसी भी स्थिति में उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड न दें ताकि उन्हें सुधार करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करें।

शिक्षक का कुशल व्यवहार न केवल बच्चों के विद्यालय में ठहाराव को सुनिश्चित करेगा। वरन् उनमें क्षमता विकास का पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेगा।

एक व्यवहार शिक्षक अपने कार्य में समुदाय का भी अपेक्षानुरूप सहयोग प्राप्त करने में सफल होगा।

3. विद्यालयों में अध्यापकों की कमीं

देखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की बेहद कमी है। अधिकांश विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं जबकि कुछ विद्यालय तो अध्यापकों के अभाव में बन्द चल रहे हैं। एकल अध्यापकीय विद्यालय अक्सर तब बन्द हो जाता है जब अध्यापक को विभागीय बैठकों में प्रतिभाग करना होता है और गैर विभागीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देना होता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय बन्द होने के कारण बच्चे घर बैठ जाते हैं तथा नियमित रूप से विद्यालय आने की उनकी आदत छूट जाती है ओर इस स्थिति की बारम्बारता के कारण यह बच्चे शाला त्याग कर जाते हैं। कई अन्य विद्यालयों में छात्रों की संख्या के सापेक्ष अध्यापक न होने के कारण सभी बच्चों को नियन्त्रित कर पाना शिक्षक की क्षमता में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में या तो शिक्षक स्वयं बच्चों को छोड़ देता है अथवा बच्चों को जब लगता है कि उन्हें विद्यालय में कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा हैं तो वे स्वयं बच्चों को छाड़ देता है अथवा बच्चों को जब लगता है कि उन्हें विद्यालय में कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है तो वे स्वयं विद्यालय से चले जाते हैं तथा विद्यालय जाते को निरर्थक समझकर शाला त्याग देते हैं।

उपर्युक्त तथ्य की गम्भीरता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। जनपद की वार्षिक कार्य योजना में जनपद की जनसंख्या वृद्धिदर के अनुरूप अगामी 10 वर्षों में अनुमानित छात्र नामांकन का प्रक्षेपण किया गया है। इस छात्र नामांकन के अनुरूप छात्र–शिक्षक अनुपात 40:1 रखते हुए

शिक्षकों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों की यह व्यवस्था शिक्षा मित्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक के रूप में की जायेगी।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी बच्चों के ठहराव में एक प्रमुख अवरोधक कारक है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से बच्चों को विद्यालय में रोके रखने में सहायक सिद्ध होगा।

4. शिक्षा का जीवनोपयोगी न होनाः

अधिकांश बच्चे केवल इसलिए विद्यालय छोड़ देते हैं कि वे तथा उनके अभिभावक यह समझते हैं कि इस विद्यालयीय शिक्षा का उनके जीवन में कोई सार्थक महत्व नहीं है। जिस समाज में लोग रोजी–रोटी की समस्या से जूझ रहे हों उनके लिए शिक्षा द्वितीयक तथा तृतीयक प्राथमिकताओं में ही आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर धनार्जन को वरीयता प्रदान की जाती है। शिक्षा से अपवंचित वर्ग के ये लोग अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर उनसे मजदूरी कराना अधिक श्रेयस्कर तथा उचित समझते हैं। समूह चर्चाओं में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि जब तक शिक्षा को रोजगार परक तथा व्यवसायोन्मुख नहीं बनाया जायेगा तब तक ऐसे वर्ग के लोगों को समझाना एक दूरुह एवं दुष्कर कार्य होगा। चूंकि इन बच्चों के अधिकांश अभिभावक भी अशिक्षित हैं। अतः शिक्षा के दूरगामी परिणाम से यह अवगत नहीं हैं।

अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाये बच्चों को व्यवसाय परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष केन्द्र खोले जायेंगे।ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं के शाला–त्याग की दर अधिक है अथवा जहाँ अधिक उम्र की बालिकाएं किसी आर्थिक, सामाजिक कारण से विद्यालय नही जा सकी हैं, उन क्षेत्रों में किशोरियों के लिए विशेष ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनमें क्षमता विकास के प्रयास किये जायेगें। इन किशोरियों को जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने के अवसर भी उपलब्ध कराये जायेंगे। इन बालिकाओ को उनकी दक्षता के अनुरुप कभी भी, किसी भी कक्षा में प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जाड़ा जायेगा।।

सम्प्राप्ति विषयक समस्यायें एवं रणनीतियां

1. शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी

अधिकांश विद्यालयो में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्ष प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करता है। जनपद बलिया में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षक अनुदान निधि के रूप में रु0 500/– प्रतिवर्ष प्रदान किये जा रहे हैं। अध्यापकों ने इस धनराशि का उपयोग यथा आवशयकता शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करने अथवा खरीदने में किया है। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए रु0 500/– प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान निधि के रूप में उपलब्ध कराने की योजना है। इस व्यवस्था से विद्यालयों में सहायक सामग्री की व्यवस्था की जा सकेगी तथा बच्चों की सम्प्राप्ति में सुधार किया जा सकेगा।

2. शिक्षकों को विषय की पर्याप्त जानकारी न होना–

प्रायः देखा गया है कि अध्यापक प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर अध्यापन से पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तथा विषय को बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं। अक्सर अध्यापक कहते हैं कि प्राइमरी स्तर के लिए कौन से अधिक ज्ञान की आवश्यकता है और वे कक्षा में जाने से पहले स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं। जिसका परिणाम बच्चों की सम्प्राप्ति में कमी के रूप में सामने आता हैं किसी भी विषय को बच्चों को सिखाने से पहले उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक होता है। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त शिक्षकों को उनके विषय की पुस्तकों का देना आवश्यक है। जिससे कि वे स्वयं अध्ययन करके बच्चों को पढ़ा सके। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रतिवर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण में अध्यापकों को शिक्षण विधियों के साथ–साथ भाषा तथा गणित शिक्षण के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को एकेडमिक सपोर्ट देने हेतु ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में एक संगठित तंत्र पहले से ही स्थापित है। इसी तंत्र के द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी शैक्षिक समर्थन दिये जाने की योजना की जा रही है।

3. अध्यापक –अभिभावक समन्वय में कभी

बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता न होने का एक प्रमुख कारण है– अध्यापक अभिभावक समन्वय में कमी। प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। अधिकांश अभिभावक इस बात के लिए जिज्ञासु नहीं होता हैं कि उनका बच्चा विद्यालय में जाकर क्या

करता है। वह शिक्षण में रुचि लेता है अथवा नहीं उसका व्यवहार सहपाठियों तथा शिक्षकों के प्रति कैसा है यदि कभी कोई अध्यापक जाकर बच्चे के बारे में जानकारी देता है तभी वे उसके आचारण के बारे में जान पाते हैं। अधिकतर अभिभवक बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर पर ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण अध्यापक भी उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं तथा विद्यालय का शैक्षणिक स्तर अधोमानक होता जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस तथ्य पर विशेष बल दिया जायेगा कि छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य एवं शिक्षकों तथा अभिभावकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। जनपद में ग्राम स्तर पर पहले से ही ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया चुका है तथा यह समितियाँ शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत् हैं। जनपद की इस नवीन कार्य योजना में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक के साथ–साथ शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता अभिभावक संघ की भी नियमित बैठकें आयोजित की जायें। इन बैठकों में बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर के बारे में चर्चा की जायेगी तथा समुदाय के सुझाव एवं सहयोग के द्वारा बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। इन बैठकों की कार्यवाही विद्यालय स्तर पर सुरक्षित अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेगी तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा। इन बैठकों में प्राप्त सुझावों को यथा सम्भव विद्यालयों में क्रियान्वित करने के लिए अध्यापकों को निर्देशित किया जायेगा। इन सब गतिविधियों के द्वारा विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक वातावरण सृजित किया जा सकेगा तथा कोई कारण नहीं होगा कि हम बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा के सार्वभौमी करण के लक्ष्य को प्राप्त न करे सके।

4. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की कमी

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था वर्ष 2001 से लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के द्वारा बच्चों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को 6 भागों में विभाजित कर, प्रत्येक माह पृथक–पृथक तथा समेकित रूप से भी मूल्यांकन कराने की योजना बनायी गई है। इस योजना में बच्चों से लघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे। बच्चों से पूछे जाने वाले यह प्रश्न ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक प्रकार के होंगे। इस परीक्षा व्यवस्था में मासिक टेस्ट के अतिरिक्त अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा का भी प्राविधान किया गया है इन सभी परीक्षाओं के अंकों का योग करते हुए बच्चे का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की यह विधा पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी प्रयोग में लायी जायेगी जिससे कि बच्चों को सिखायें जा रहे विषयों की सम्प्राप्ति के बारे में शिक्षकों तथा अभिभावकों को नियमित जानकारी होती रहे और यथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर, बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके।

जनपद बलिया में बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति सम्बन्धी उपर्युक्त समस्यायें समूह चर्चाओं के माध्यम से निकलकर सामने आई समुदाय से प्राप्त सुझावों का स्वागत करते हुए निदान के रूप में उनका प्रयोग किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन उपायों को लागू करते हुए हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को वर्ष 2010 तक निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

जनपद में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार यह समस्या उभर कर आयी कि 6. 11 वय वर्ग के बालक विद्यालय दूरस्थ होने से प्रवेश नहीं कराना चाहते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रेरित कर प्रवेश करा भी दिया जाता है तो समय से वे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते और कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु शासन ने यह निर्णय लिया है कि आबादी के सन्निकट 1.5 किमी0 की दूरी के अन्दर प्रा0विद्यालय की स्थापना की जाय। इस लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए डी0पी0ई0पी0 तृतीय में से 75 प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2000–2001 में स्थापित है तथा 75 विद्यालय वर्ष 2001–2002 एवं 2002–2003 में संचालित किए जाएंगे। फिर भी जनपद की 225 अससेवित बस्तियों विद्यालय की सलभता की दृष्टि से 73 प्रा0वि0 की आवश्यकता है। जिसमें 73 प्रा0वि0 सर्व शिक्षा अभियान में संचालित किए जाने हेतु प्रस्तावित है जिसमें सम्पूर्ण बस्तियां विद्यालयों से सेवित हो जायेंगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

सारिणी–6.1

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक	–	–	73	–	–	–

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्ता पूर्ण हो सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी, शिक्षण

सामग्री, काष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

शिक्षक की व्यवस्था

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएगी। एस. एस. ए. के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको के चयन में 50 प्रतिशत माहिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जायेगी।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

जनपद बलिया के ग्रामीण क्षेत्र में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की कमी है। उच्च प्रथमिक विद्यालय अधिक दूरी पर उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सुलभ कराने हेतु सर्वाशिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद बलिया वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में 83 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएगे।

सारिणी 6.2

(वर्तमान की संख्या के आधार पर)

क्र.सं.	विवरण	सेख्या
1.	कुल प्राथमिक विद्यालय (मान्यता प्राप्त को सम्मिलित करते हुए	1943
2.	प्रस्तावित नवीन प्रा0 वि0	73
3.	वर्तमान में उ0प्राथमिक विद्यालय परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त	471
4.	प्रस्तावित	83

इन प्रस्तावित नवीन उ0प्रा0 विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ7साथ शौचालय हैण्डपम्प, चहारदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

3. प्रत्येक नवीन उ0प्रा0 विद्यालय में 01 प्रधानाध्यापक एवं 04 सहायक अध्याक सहित कुल 05 अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। चार सहायक अध्यापकों में से एक गणित, एक विज्ञान तथा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षण के लिए एक महिला शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

सारिणी 6.3

वर्षवार खुलने वाले नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उ0 प्राथमिक	–	26	57	0	0	0

जनपद में विकास खण्डवार नवीन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ई0जी0एस0/ए0एस0 की आवश्कयता निम्नप्रकार होगी।

सारिणी–6.4

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	नवीन प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	ई0जी0एस0/ए0एस0
1.	सीयर	06	19	30
2.	नगरा	06	20	32
3.	रसड़ा	06	15	28
4.	चिलकहर	06	14	21
5.	नवानगर	06	14	24
6.	पन्दह	05	13	24
7.	मनियर	05	10	18
8.	बेरूआरबारी	04	9	15
9.	बासडीह	05	8	14
10.	रेवती	05	8	13

11.	गड़वार	06	15	25
12.	सोहांव	06	12	20
13.	हनुमानगंज	04	10	19
14.	दुबहड	04	8	15
15.	बेलहरी	04	8	14
16.	बैरिया	05	8	13
17.	मु0छपरा नगर	05	8	13
18.	न्गर क्षेत्र	07	06	07
	योग	**95**	**205**	**345**

उपरोक्त में प्राथमिक में 73 तथा उच्च प्राथमिक में 83 नवीन विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित किये गये हैं जिससे सम्पूर्ण जनपद सेवित हो जायेंगे।

पेयजल एवं चहारदीवारी

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ जल हेतु इण्डिया मार्क द्वितीय हैण्डपम्प लगाये जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी बालिकाओं और विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सुविधाओं से वंचित विद्यालयों को भी सर्व शिक्षा अभियान में सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव

है। जिनका विवरण निम्नवत् है। सर्व शिक्षा अभियान में चाहरदीवारी प्रस्तावित नहीं है।

सारिणी–6.4

विद्यालय	हैण्डपम्प	शौचालय	चहारदीवारी
प्राथमिक विद्यालय	216	1007	–
उच्च प्राथमिक विद्यालय	21	107	–
योग	**237**	**1114**	–

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

प्राथमिक विद्यालय में 40:1 के अनुपात में कक्षा कक्षों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्तमान में कुल 3612 कक्षा कक्ष उपलब्ध है। जबकि 7525 कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। आगामी वर्षों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवयकता होगी । किन्तु संसाधनों को दृष्टिकत रखते हुए सभी प्रा0 वि0 में कम से कम तीन कक्षा कक्षों निर्माण कराया जाएगा।

सारिणी–6.5

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक कक्षा कक्षा
1	भवनहीन प्रा0 वि0	18	54
2	एक कक्षीय प्रा0 वि0	20	40
3	दो कक्षीय प्रा0 वि0	1117	1117
	योग		**1211**

उच्च प्राथमिक विद्यालयमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में पाँच कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जायेगी।

सारिणी–6.6

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक कक्षा कक्षा
1	भवनहीन जू0 हा0 स्कूल	1	4
2	एक कक्षीय जू0 हा0 स्कूल	2	4
3	दो कक्षीय जू0 हा0 स्कूल	4	14
4	तीन कक्षीय जू0 हा0 स्कूल	155	155
5	चार कक्षीय जू0 हा0 स्कूल	85	85
	योग		**264**

उच्च प्रा0 विC में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 2001–02 के अनुसार कक्षा–कक्ष की आवश्यकता 60 है। नये विद्यालय के बनने से कक्षा–कक्ष की कमी नहीं होगी जो कमी तालिका में दिखाई दे रही है।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक को सम्मिलिवार वर्षवार आवश्यक कक्षा कक्ष एवं प्रस्तावित कक्षा कक्ष निम्नांकित सारणी से प्रदर्शित है।

सारिणी–6.7

क्रमांक	वर्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष प्राथमिक	आवश्यक कक्षा कक्ष उच्च प्राथमिक	कुल आवश्यक कक्षा कक्ष (प्रा0 + उ0 प्रा0)	प्रस्तावित
1.	2001–2002	0	–	–	–
2.	2002–2003	0	26	–	–
3.	2003–2004	0	19	–	–
4.	2004–2005	500	79	579	579
5.	2005–2006	711	195	906	906
6.	2006–2007	–	–	–	–

वर्ष 2001–2002 हेतु आवश्यक कक्षा 3648 है किन्तु इस सत्र में निर्माण सम्भव नहीं है अस्तु इसे आगे के वर्षों में क्रमशः प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष वार प्रस्तावित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	–	73	–	–	–
नवीन उ0प्राथमिक विद्यालय	–	26	57	–	–	–

विद्यालय की साज–सज्जा

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुरुरूप साज सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्थ की जायेगी। विद्यालयों की साज–सज्जा का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति को प्रदान करने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा समिति को इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे इसके सदस्य विद्यालय तथा बच्चों की आवश्यकता के अनुसार टाट, पट्टी, श्यामपट, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी, बाक्स, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय कर सकेंगे।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लकड़ी का समान, मेज, कुर्सी, विज्ञान किट, गणित किट, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालयें हेतु पुस्तके आदि क्रय की जायेंगी। इन सब की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जोयेगी तथा आवश्यकता अनुरूप समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यालय 50,000 रु0 की व्यवस्था की जा रही है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पूर्व सर्वेक्षण

प्रत्येक वर्ष विद्यालयें की स्थापना पूर्व सर्वेक्षण कार्य कराया जाएगा जिसके लिए जनपद स्तर पर प्रतिवर्ष 2,00,000 रु0 का प्राविधान किया गया है। उक्त सर्वे कार्य वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ कर वर्ष 03–04 तक पूर्ण कर लिया जाएगा अतः इस मद में धनराशि का प्राविधान वर्ष 2003–2004 तक ही किया गया है। वर्ष 2004 के पश्चात् किसी नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य नहीं है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयें की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में जिन नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है, उनकी लागत में कमी लाने के उद्देश्य से यदि इन नवीन विद्यालयों को पूर्व से ही संचालित प्राथमिक विद्यालय के परिसर में स्थापित किया जाए अथवा उन्हें उच्चीकृत कर दिया जाए तो इन विद्यालयों में पूर्व से ही उपलबध अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था से नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी की जा सकती है। हैण्ड पम्प, शैचालय तथा चारदीवारी आदि के मद में व्यय की जाने वाली बड़ी धनराशि की बचत की जा सकती हैं।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभी तो राजकीय मानक के अनुसार 300 की आबादी तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी को आधार मानते हुए प्राथमिक विद्यालय की स्थपना का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना बच्चों की अवश्यकताओं के ऑकलन सर्वेक्षण के आधार पर ही हो सकता है। अतः प्रति वर्ष एक व्यापक सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होगी। इस सर्वेक्षण के द्वारा विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का ऑकलन एवं शैक्षिक सुधार की प्रगति जानने का प्रयास किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के आधार पर आगामी वर्ष की कार्य योजना में आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। सर्वेक्षण कार्य के लिए रु0 2,00,000 प्रति वर्ष का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवन, शौचालय, चारदीवारी, हैण्ड पम्प आदि आधारभूत संसाधनों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवसी का विवरण अध्याय–10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दि;k x;k gSA

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–2

पृष्ठ–भूमि :

जनपद बलिया में विगत 2 वर्षो से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ–साथ जनपद के कुल 17 विकास खण्डों में से 14 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम अब समाप्त कर दिया गया है पढ़ने की आयु वाले हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय अथवा शिक्षा केन्द्र उसकी पहुँच के अन्दर हो, ये विद्यालय औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है जहां विद्यालय नहीं थे। अथवा बच्चों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कारणों से शाला–त्याग करना पड़ रहा था जनपद बलिया के 14 विकास खण्डों में 1400 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे थे। इन केन्द्रों में दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् बच्चे में कक्षा 5 की योग्यता अर्जित करा दी जाती थी। दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् इन बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता था।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से इस कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियों अर्जित की गई किन्तु जिस आशा ओर आकांक्षा के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया गया उसे प्राप्त करने में यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं रहा। यह कार्यक्रम पूरी तरह से स्वयं सेवकों के ऊपर निर्भर था और इन स्वयं सेवकों को अत्यल्प मानदेय प्रदान किया जाता था। किन्तु फिर भी इन स्वयं सेवकों ने इस योजना के अन्तर्गत सराहनीय प्रयास किया और ऐसे असंख्य बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जो कि औपचारिक विद्यालयों के न होने के कारण अशिक्षित तथा निरक्षर रह जाते थे।

यद्यपि जनपद बलिया में विगत 2 वर्षो से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा 461 नवीन विद्यालयों की नितान्त आवश्यकता है। किन्तु प्राथमिक

विद्यालय से इन बस्तियों की दूरी 1.5 किसी से कम तथा अबादी 300 से कम होने के कारण इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा की यह वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों के लिए भी करनी होगी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं जो चलकर विद्यालय तक नहीं जा सकते अथवा जो बच्चे मन्द बुद्धि अथवा कम श्रवण शक्ति वाले हैं। हमें उन बालिकाओं के लिए भी वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणें से विद्यालय नही जा पाती अथवा शाला –त्याग देती हैं। अल्प संख्यक वर्ग की कुछ बालिकायें सामाजिक धार्मिक कारणों से औपचारिक विद्यालय नहीं जा पाती है उनके लिए भी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की करनी होगी। जनपद बलिया में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो जोने के पश्चात् इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयुक्त वर्णित श्रेणी के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा गारन्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

हाउस होल्ड सर्वे (2003) के अनुसार
विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्रमांक	विकास खण्ड	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			
		6 – 11		11 – 14	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	सीयर	3915	3200	426	434
2	नगरा	3083	2835	298	360
3	बांसडीह	2437	1871	1434	1118
4	नवानगर	2349	1711	927	770
5	पन्दह	2345	2372	207	385
6	मनियर	1200	1152	532	676
7	बैरिया	1399	1599	572	580
8	मुरलीछपरा	655	910	437	350
9	बेलहरी	427	209	106	137
10	रेवती	2226	1750	721	747
11	दुबहड	1868	1624	296	388
12	हनुमानगंज	3390	3772	156	136
13	चिलकहर	1730	1629	355	325
14	गडवार	642	674	190	266

15	बेरुआरवारी	1055	1148	450	611
16	रसड़ा	2067	1643	417	504
17	सोहांव	2023	1694	113	165
18	नगर क्षेत्र	1432	1126	325	269
	कुल योग	***34143***	***30919***	***7962***	***8221***

स्कूल चलो अभियान के बाद विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (31.08.2003)

क्रमांक	विकास खण्ड	6 – 11 आयु वर्ग			11 – 14 आयु वर्ग		
		B	G	T	B	G	T
1	सीयर	124	148	272	89	206	295
2	नगरा	163	193	356	125	258	383
3	रसड़ा	105	126	231	92	224	316
4	चिलकहर	93	107	200	65	156	221
5	नवानगर	106	128	234	83	188	271
6	पन्दह	74	93	167	54	126	180
7	मनियर	60	96	156	51	144	195
8	बेरुआरवारी	45	78	123	45	134	182
9	बांसडीह	60	84	144	67	167	234
10	रेवती	68	86	154	51	153	214
11	गडवार	110	137	247	85	197	282
12	सोहांव	82	117	199	57	165	282
13	हनुमानगंज	53	89	142	59	154	213
14	दुबहर	57	67	124	45	172	217
15	बेलहरी	111	136	247	48	169	217
16	वैरिया	117	108	225	49	184	233
17	मुरलीछपरा	87	112	199	65	82	247
18	नगर क्षेत्र	164	167	331	134	103	237

जनपद बलिया में मई 2003 में किये गये हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात् स्कूल चलो अभियान (मई – जुलाई 2003) के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले कुल चिन्हित 81265 बच्चों में से 31 अगस्त 2003 तक कुल 74102 बच्चों का नामांकन स्कूल में कराया जा चुका है। जिसमें 5+ – 6+ के सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन कराया जा चुका है। 7+ – 10+ के कुल 3751 बच्चे ऐसे हैं जिनके नामांकन हेतु जनपद के दो माह के 34 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स 50 EGS केन्द्र एवं 16 AIE केन्द्र खालेने की योजना प्रस्तावित की गयी है। तथा 11 – 14 आयु वर्ग के कुल 3422 बच्चे स्कूल से बाहर हैं

अथवा स्कूल छोड़ चुके हैं। जिनके लिए जनपद में 6 माह के 7 ब्रिज कोर्स तथा 50 AIE (उच्च प्राथमिक) केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

जनपद में EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्र.सं.	वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या									ब्रिज कोर्स	
		EGS			AIE प्राथमिक			AIE उच्च प्राथमिक			आवासीय	गैर आवासीय
		पूर्व स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व स्वीकृत	नये केन्द्र	योग		
1	02–03	83	–	83	83	–	83	–	–	–	–	–
2	03–04	83	–	83	83	–	83	–	17	17	1	163
3	04–05	83	50	133	83	16	99	17	50	67	7	50
4	05–06	133	–	133	99	–	99	67	–	67	–	–
5	06–07	133	–	133	99	–	99	67	–	67	–	–

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलियामें कुल 166 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था। जिसके सापेक्ष 83 विद्या के केन्द्र, 83 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, संचालित किये गये हैं ।

शिक्षा की पहुंच का विस्तार करते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/मकतब के कुल 116 नवीन केन्द्र खेलने की योजना है। इसके अतिरिक्त उच्च प्रा0 के लिए 50 ज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे। वैकल्पिक शिक्षा/ नवचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 116 केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वर्ष 7 ब्रिज कोर्स भी संचालित किये जायेंगे। वर्ष 2002–03 में कुल 50 ग्रीष्म कालीन शिविर भी खोलने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान की नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत आयोजित समूह चर्चाओं के माध्यम से उपर्युक्त योजनावार केन्द्र खोलने हेतु स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 03–06 वय वर्ग के बच्चों के लिए जनपद के तीन विकास खण्डों में 125 ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है।

शिक्षा गारन्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

शिक्षा के सार्व भौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि असेवित बस्तियों के बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाये। अनौपचारिक शिक्षा योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात् उसके स्थान पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा से वंचित सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। इस योजना में 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2002 में विद्यालयों /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नामांकित कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिन ग्रामों में पहले से ही मुख्य धारा के विद्यालय संचालित हैं। वहाँ के अधिकांश बच्चों का नामांकन तो हो ही जाता है किन्तु जिन क्षेत्रों में विद्यालय नही हैं वहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलकर समस्त बच्चों का शत् प्रतिशत् नामांकन कराना हमारा पहला उद्देश्य है। इन केन्द्रों में नामांकित सभी बच्चे दक्षता प्राप्त कर मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश ले इसके लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने के पूर्व घर–घर सर्वेक्षण कराया गया तथा बाल गणना का कार्य सम्पन्न किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा 6–8 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या प्राप्त की गई। हमारा उद्देश्य है कि विद्यालय न जाने वाले इन बच्चों को शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत कक्षा 2 तक की शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 में नामांकित करा दिया जाय। पूर्व माध्यमिक स्तर असेवित बस्तियों की पहचान कर ली गई है।

विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन शिविर तथा ब्रिज कोर्स संचालित करने के लिए एक श्रेणीवार कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इन शिक्षा केन्द्रों में बच्चों को नई शिक्षा विधियों के द्वारा बाल केन्द्रित शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस नवीन शिक्षण विधा में बच्चे को केन्द्र बनाकर उसे सक्रिय रखते हुए खेल–खेल में मनोरंजक एवं रुचिकर ढंग से शिक्षा प्रदान की जायेगी। जिसके लिए शिक्षा स्वयं सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा गारन्टी योजना का प्रारूप–

शिक्षा गारन्टी योज़ना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरे/ टोले चिन्हित किये गये हैं। जहाँ पर मुख्य धारा के औपचारिक विद्यालय संचालित नहीं हैं तथा **जहाँ** से 1 किमी0 की परिधि तक कोई विद्यालय नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि वहाँ 6–8 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले 30 बच्चे उपलब्ध हों तथा केन्द्र खोलने के लिए ग्राम प्रधन अथिवा गाँव का कोई अन्य व्यक्ति सीन उपलब्ध करा सके। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में किसी स्थानीय व्यक्ति को शिक्षा स्वयं सेवक के रूप में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसे आचार्य जी नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इन केन्द्रो पर कक्षा 1 व 2 की पढ़ाइ की जायेगी। कक्षा 2 की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् बच्चा पास के औपचारिक विद्यालय तक जाने में सक्षम हों जायेगा तब वहाँ के विद्यालय में उसका नामांकन कराकर मुख्य धारा के विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा। इन केन्द्रों का संचालन राज्य स्तरीय समिति के रूप में उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक केन्द्र में एक शिक्षा स्वयं सेवक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक केन्द्र में 2 शिक्षा स्वयं सेवकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम–

यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए तेयार किया गया है, जिन्होंने कभी किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया तथा अब अधिक आयु हो जाने के कारण

मनोवैज्ञानिक कारणों से मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने से हिचकिचाते हैं। इस योजना में ऐसे बच्चों को भी सम्मिलित किया जायेगा जिन्होंने आर्थिक एवं समाजिक कारणों से विद्यालय छोड़ दिया है किन्तु अब वे पढ़ना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा से वंचित विशेषकर कामकाजी तथा बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस किसी ग्राम, बस्ती, मजर, टोले, मोहल्ले में 30 बालक–बालिका मिल जायेंगे जो कि शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं वहाँ पर वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जायेगी। विशेषा परिस्थितियों में बच्चों की संख्या 15 होने पर भी यह केन्द्र खेले जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर के ऐसे केन्द्रों में एक शिक्षा स्वयं सेवक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 स्वयं सेवकों की नियुक्ति का प्राविधान है।

मकतब/मदरसा का सुदृढ़ीकण–

जनपद में 1 मकतब/मदरसा पूर्व से ही संचालित किए जा रहा हैं जबकि मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में 8 अन्य मकतबों का सुदृढ़ीकरण की योजना है। इन मकतब/मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष 15,350.00 रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूक्ष्म नियोजन के आकड़ों को अद्यतन करना–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सूक्ष्म नियोजन का कार्य कराया जाएगा जिससे कि 6–14 वय वर्ग के बच्चों की सही संख्या ज्ञात करते हुए उनके शैक्षिक प्रगति की जानकारी की जा सके तथा अभिलेख सुरक्षित रखे जा सकें। इस कार्यक्रम के लिए 50,000.00 रु0 प्रतिवर्ष का प्राविधान किया जा रहा है।

वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप –

जनपद शाहजहाँपुर में जिन स्थानों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक एवं नावाचार केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वहाँ इन केन्द्रों

का समसय प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी भी समय लगातार 4 घण्टे तक रखा जाएगा।

शिक्षा स्वयसेवक का चयन–

इन केन्द्रों में कार्य करने वाला स्वयंसेवक यथा संभव उसी सीन एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारण्टी/केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गाँव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। इसका चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर चयनित स्वयंसेवक को आचार्य जी कहा जाएगा। आचार्य जी को आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा। इनका कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इन्हें हटाया जा सकता हे। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खेले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में अनुदेशक का चयन जिला समन्वयक (वै0शि0) नगर शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित वार्ड का सभासद तथा नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित एवं सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को शिक्षा स्वयं सेवकों के चयन के संबंध में पर्याप्त जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण करउपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी गयी तथा चयन कर उसे आमन्त्रण पत्र निर्गत करेंगे। उच्च प्राामिक स्तर के केन्द्रों के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता हे।

शिक्षा स्वयं सेवक का प्रशिक्षण :

शिक्षा स्वयं सेवक का 30 दिन का प्रशिक्षण डायट अथवा बी0 आर0 सी0 पर आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु रु0 1850/– की दर से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन कन्द्र को भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में स्वयं सेवक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्ष केन्द्र/नवाचार शिक्षा केन्द्र में चयनित प्रत्येक स्वयं सेवक को प्राथमिक स्तर पर रु0 1000/– मासिक देय होगा। यह धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, जिस अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्वयं सेवक को भुगतान कर दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के स्वयं सेवकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त किया जाएगा। यह धनराशि नगर क्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/ प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा सम्बन्धित स्वयं सेवक को भुगतान किय जाएगा।

पर्यवेक्षण–

शिक्षा गारन्टी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/ नगर प्रोग्राम आफीस्र/ नगर रिसोर्स पर्सन/ सहायक शिक्षा अधीक्षक/ जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। न्यायपंचायत

संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की मासिक बैठकें भी ली जायेगी। जिसमे ब्लाक आफिसर/ रिसोर्स पर्सन/ स0 वेशि0 अधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय–समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करते रहेंगे निकटस्थ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्यत्व होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट में डी0 आर0 यू0 प्रभारी एवं अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्व भौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्रों को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा इस

धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु0 845/– प्राथमिक तथा 1200/–उच्च प्रा0) शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य /जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारंटी/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्ष गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूलंकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयारी जायेगी। बच्चों का तिमही, छामाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के अधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा शीघ्र आपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए यह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/ विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रो में अध्ययनरत बच्चे निर्धारित पाठयक्रम पूर्ण कर लेगे, उनकी परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विघालय के प्रधानध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वर्षवार प्रस्तावित EGS/AIE केन्द्र
सारिणी – 7.3

वर्षवार	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–01
विद्या केन्द्र	–	–	–	50	–	–	–	–	–
वै0 शि0 केन्द्र	–	–	–	16	–	–	–	–	–
शिक्षा घर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बालशाला	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रहरपाठशाला	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मक्तब /मदरसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज्ञानकेन्द्र	–	–	–	50	–	–	–	–	–
ब्रिज कोर्स	–		01	17	–				
गैर आवासीय ब्रिज कोर्स	–	–	163	20	–	–	–	–	–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका में रखा गया है। प्रस्तावित शिक्षा गारन्अी योजना/ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समितियां निम्नलिखित दायित्वों का वहन करेंगी।

1. 6–9 तथा 9–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन।

2. कार्यक्रम के संचालन हेतु वातावरण का सृजन करना।

3. अनुदेशकों का चयन करना ।

4. केन्द्रो का समय निर्धारित करना।

5 केन्द्रो की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का क्रय करना तथा अनुदेशको को उपलब्धा कराना।

6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणों परान्त केन्द्र संचालन का दायित्व सौंपना।

7. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपसिंति एवं केन्द्र का प्रबन्धन करना।

8. समय–समय पर केन्द्र का निरीक्षण करना।

9. केन्द्र हेतु स्थान पेयजल तथा शैचालय की व्यवस्था करना।

10. केन्द्रों में पढ़नें वाले बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करना।

11. अनुदेशकों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय शिक्षा समिति परियोजना के सभी कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। प्रमुख रूप से इस समिति के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे।

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों की संकलित करना एवं संकलित सूचना जिला परियोजना कार्यालय को उपलबध कराना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रो प्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

3. क्लस्टर रिसोर्स पर्सन तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायक से केन्दों/शिविरों का भ्रमण करना एवं आवश्यक पर्यवेक्षण/अनुवीक्षण की व्यवसी करना।

4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयेाजित करना।

5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों को आवश्यक शैक्षिक समर्थन प्रदान करना।

6. विकास खण्ड स्तर पर बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण माँ बेटी मेला, मीना कैम्पेन, कला जत्था कार्यक्रम, कठपुतली कार्यक्रम, मटेरियल मेला आदि का आयोजन करना एवं विभिन्न शैक्षिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करना।

1. ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/2–कोण आधारित शिविर।

सड़क/प्लेटफार्म के किनारे अस्थाई बस्तियों, मलिन बस्तियों एवं रेड–साइड एरिया के बच्चों, दुकानों, होटलों, ढ़ाबों में कार्य करने वाले बच्चों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा (बाल–श्रमिक) कुलीगिरी करने बच्चे तथा ऐसे बच्चे

जिनके अभिभावक जेल में हैं अथावा खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9–14 है, के ब्रिज क्षेत्र से /ग्रीष्म कालीन /क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेगें/ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन/ क्षेत्र विशष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

2. प्रबन्धक लागत

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन / क्षेत्र विशिष्ट पर आधारित शिविरो में 9 से 14 वर्ष तक के न्यनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगे तथा ये शिविर आवासीय होगें। इन शिविरों में बच्चो के खाने, पीने, रहने एवं शिक्षण की व्यस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानको के अर्न्तगत ब्रिज कोर्स शिविरों के लिए एक केयर टेकर, (02) पैरा टीचर, एक (01) रसोइया तथा एक चौकीदार की आवयकता होगी, इस प्रकार चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविधा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी। केयर सेन्टर अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज–संज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जनसमुदाय का समुदाय/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायगी जहाँ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खंण्ड जनपद में स्थापित हो।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायगी।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायगी। इस हेतु 3000/– प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

3. शिक्षा सलाहकार समिति का गठन।

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाह कार समिति का गठन किया जाएगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जाएगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1.	जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	:	अपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ के. शि. अ./जि. बे. शि. अ.	:	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर ई.सी.एस.	:	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	:	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	:	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे. शि. अ.):		सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा)

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

4. जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्त्तव्य एवं दायित्वः

जनपद के सफल ई.जी.एस. और ए.आई.ई. हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है।

शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रो प्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना। कार्यक्रमों का कार्यान्वरयन कराना।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कनवरजेन्स कार्यक्रमों का संचालन करना।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रमण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यालय शालाओं का आयोजन करना।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

5. विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः–

जनपद बलिया में न पढ़ते वाले विकलांग बच्चों की संख्या काफी अधिक है। इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई.ली. एस. और ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या

को 15 से कम भी किए जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजेट/टोले/ मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिए जाए प्रस्तावित है, कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर केन्द्र खोला जाएगा अथवा साइकिल या बैशाखी उपकरणों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2000 से विद्यालयों के बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस समय जनपद में शालात्याग की दर 41.7 प्रतिशत है। जो बहुत अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शालात्याग की दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद के 1333 विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये गये, 724 विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये, बढ़ते हुए छात्र नामांकन को देखते हए 400 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराये गये हैं। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के पश्चात् अध्यापन क्रिया आधारित तथा बालकेन्द्रित शिक्षण द्वारा बच्चों को विद्यालय में रोक सके इसके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण तथा भाषा गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन में विषय गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में सभी प्राथमिक शिक्षक उपर्युक्त प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यद्यपि पेयजल, शौचालय और अतिरिक्त कक्षा कक्षा की व्यवस्था की गयी है, परन्तु सभी विद्यालय इससे आच्छादित नही हो पाये हैं। जिला शिक्षण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण दिया जा चुका है परन्तु अन्य विषयों में प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। प्राथमिक स्तर पर अनु0जाति, जन जाति के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जा रही है। इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचति जाति के बालक और सभी वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के लिए अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक हैं इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि शत

प्रतिशत विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से युक्त हो जिसके लिए जुलाई 2001–2002 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण किया गया और गाँव स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया गया।

विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण •

जनपद में डी0पी0ई0पी0 से बनने के बाद भी भवनहीन/जर्जर विद्यालयों की संख्या 58 है जिनमें 39 प्राथमिक तथा 32 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की कक्षाएं या तो पेड़ के नीचे लगती हैं अथवा खुले मैदान में जिसके कारण सामन्तया बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं आते साथ ही साथ कुछ महीनों तक अध्ययन करने के पश्चात् बच्चे विद्यालय आना बन्द कर देते हैं जिससे ड्राप आउट में वृद्धि होती हैं। इसे रोकने के लिए 18 प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, जिसे योजना के प्रथम दो वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जायेगा। इन विद्यालय भवनों का निर्माण वर्ष 2002–2003 तथा 2003–2004 में प्रस्तावित किया गया है।

ब्लाकवार जर्जर विद्यालयों की सूची

क्र.स.	विकास खण्ड	जर्जर प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		विद्यालय संख्या	स्थापना वर्ष	विद्यालय संख्या	स्थापना वर्ष
1	सीयर	1	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
2	नगरा	2	1960–70 के बीच	3	1960–73 के बीच
3	रसड़ा	1	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
4	चिलकहर	2	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
5	नवानगर	1	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
6	पन्दह	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
7	मनियर	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच

8	बेरुआरवारी	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
9	बांसडीह	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
10	रेवती	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
11	गडवार	1	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
12	सोहांव	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
13	हनुमानगंज	1	1960–70 के बीच	2	1960–73 के बीच
14	दुबहर	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
15	बेलहरी	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
16	वैरिया	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
17	मुरलीछपरा	1	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
18	नगर क्षेत्र	2	1960–70 के बीच	1	1960–73 के बीच
	योग	21		26	

वर्षवार जर्जर विद्यालयों का पुर्ननिर्माण

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
पुर्न निर्माण प्राथमिक	0	—	21	—	—
पुर्न निर्माण उच्च प्राथमिक	0	5	26	—	—

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष

वर्तमान में जनपद के प्रा0वि0 में कुल कक्षा–कक्षों की संख्या 3612 है। प्रत्येक अध्यापक के लिये एक कक्ष–कक्ष का मानक पूरा करने हेतु प्रभावी नामांकन के अनुसार 40:1 मानक में 200–2004 में कुल 6260 अध्यापकों की आवश्यकता है

अस्तु कुल वांछित कक्षा–कक्ष = 7525 है। इस प्रकार 3608 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता होगी।

जनपद में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप छात्र नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व में दी गई सारणी 4.1 के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता शिक्षकां के ही अनुप होगी, जो निम्नलिखित सारणी 8.2.1 में प्रदर्शित है।

संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रा0वि0 के लिय 1211 कक्ष तथा उच्च प्रा0विद्यालय के लिये 264 कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए प्रस्ताव है। जिससे सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 तथा जू0 हा0 स्कूल में 5 कक्षा कक्ष उपलब्ध हों। अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता का विवरण संलग्न तालिका संख्या 8.2. 1 में तथा उ0प्र0वि0 हेतु आवश्यकता सारणी 8.2.2 में प्रदर्शित है–

सारणी 8.2

अतिरिक्त कक्षा–कक्षा (प्राथमिक विद्यालय)

क्रमांक	वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान में अतिरिक्त कक्षा–कक्षा की आवश्यकता	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	2002–2003	–	26
2.	2003–2004	–	19
3.	2004–2005	500	79
4.	2005–2006	711	195
5.	2006–2007	–	–

स्रोत : विभागीय आकड़ों के आधार पर

शौचालय

सारणी – 8.2

प्रत्येक विद्यालय शौचालय युक्त करने के लिए 283 प्राथमिक 107 उच्च प्राथमिक कुल 390 शौचालयों की आवश्यकता है। अतः प्रा0वि0 के लिए 283तथा उच्च प्रा0 के लिए 107 शौचालय निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण निम्न वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है–

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
संख्या प्राथमिक	–	–	–	283	–	–
उच्च प्राथमिक	–	–	–	107	–	–

पेयजल

सारिणी 8.3

यद्यपि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कुल 1417 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, अभी भी 216 विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती है। अतः 216 हैण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका विकास खण्डवार विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है। आवश्यक 216 प्राथमिक विद्यालय में तथा 21 हैण्डपम्प जू0 हा0 स्कूल में निम्न वर्षों में लगवा दिये जाने का प्रस्ताव है–

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
संख्या प्राथमिक	–	–	–	283	–	–
उच्च प्राथमिक	–	–	–	107	–	–

विद्यालय की सुविधाएं (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक)

जनपद में सभी प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लघु मरम्मत एवं रखरखाव योग्य जिनकी मरम्मत हेतु रू0 5000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।

वर्षवार मरम्मत एव रख–रखाव

सारणी–8.4

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
प्राथमिक	–	–	–	1633	1633	1633
उच्च प्राथमिक	–	193	193	276	276	276

सुन्दर और आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चे उनकी ओर आकर्षित होते है जिससे विद्यालय में उनका धारण बढ़ता है। वर्तमान में जनपद में 1505 प्राथमिक 366 उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय है, जिनके मरम्मत तता रख–रखाव हेतु 5000/– रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय मरम्मत और रख–रखाव का प्रस्ताव दिया गया है। आगामी वर्षो में निम्न विरणानुसार विद्यालयों को धनराशि करायी जायेगी–

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र की वर्षवार आवश्यकता

वर्ष	नामांकित बच्चे	स्वीकृत शिक्षक	स्वीकृति शिक्षा मित्र	योग	40 : 1 से आवश्यकता	अतिरिक्त आवश्यकता	शिक्षक	शिक्षा मित्र
2002–03		4995	367	5362	–	–	–	–
2003–04	**290596**	5068	1507	6575	7265	690	345	
2004–05	**296876**	5413	1852	7265	7422	157	78	424
2005–06	**302575**	5491	1931	7422	7564	142	71	71
2006–07	**310175**	5562	2002	7564	7754	190	95	95

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्शो में शिक्षको की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	2001–2002	193	0	965	1040	–
2	2002–2003	219	26	1095	1040	55
3	2003–2004	276	57	1380	1095	285
4	2004–2005	276	0	1380	1380	0
5	2005–2006	276	0	1380	1380	0
6	2006–2007	276	0	1380	1380	0

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्शो में शिक्षको की आवश्यकता

क्रमांक	वर्श	परिशदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष (सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित)
	1	2	3	4	5	6
1	2001–2002	193	0	965	712	60
2	2002–2003	219	26	1095	712	26
3	2003–2004	276	57	1380	738	19
4	2004–2005	276	–	1380	757	79
5	2005–2006	276	–	1380	836	195
6	2006–2007	276	–	1380	1031	–

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गाववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओ) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं** उच्च प्राथमिक विद्यालयो का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001–2002	272181	6804	3908	200	4108	–
2	2002–2003	282395	7060	4108	200	4308	–
3	2003–2004	290596	7265	4308	–	4308	–
4	2004–2005	296876	7422	4308	0	4308	500
5	2005–2006	302575	7556	4808	0	4808	711
6	2006–2007	310175	7754	5519	0	5519	–

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण–

आकर्षक एवं उपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का छात्र नामांकन तथा उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान छात्र संख्या तथा वर्ष 2007 तक अनुमानित उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी। राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को भी निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर	एन.ई.आर.	बालिका + अनु. जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
						जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001–2002	410642	372806	71800	301006	37836	91	201674
2	2002–2003	418855	387912	73236	324676	20943	95	217533

3	2003–2004	434457	430706	140110	290596	3751	99.14	236196
4	2004–2005	435777	435777	138901	296876	0	100	240920
5	2005–2006	444492	444492	141917	302575	0	100	245738
6	2006–2007	453382	453382	143207	310175	0	100	250653

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता

वर्ष	बालिकाओं तथा अनु0 जाति के बालकों की संख्या (परिषदीय + सहायता प्राप्त + राजकीय)
2002–2003	75995
2003–2004	87030
2004–2005	117584
2005–2006	119942
2006–2007	122544

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रा0वि0	–	–	–	245738	250653
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उ0 प्रा0वि0	75995	87030	117584 (102884 + 14700)	119942 (104942 + 15000)	122544 (107042 + 15543)

विद्यालय विकास अनुदान

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक/डस्टर की व्यवस्था, स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिये रूपया 2000/– प्रति विद्यालय की दर से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए धनराशि की मांग की गयी है। विद्यालय विकास अनुदान की व्यवस्था सभी सहायता प्राप्त तथा राजकीय विद्यालयों के लिए भी की गई है। इस प्रकार वर्षवार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
प्रा0वि0	–	–	–	1643	1643	1643
उ0प्रा0वि0	–	193	–	428	428	428

अध्यापक अनुदान (TLM)

सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त तथा राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए 500/– रूपये प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष TLM का प्रवधान निम्न अनुसार किया गया है :–

	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक (शिक्षामित्र + शिक्षक)	–	205	7422	7564	7754
उच्च प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय + सहायता प्राप्त + राजकीय)	1118	2321	1836	1836	1836

बालिका शिक्षा

वर्ष 2001 की जनगणना के जनपद स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 73.15 तथा 43.92 प्रतिशत है। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार पुरूषों की साक्षरता 59.40 और महिला की साक्षरता केवल 23.80 प्रतिशत रही थी। इस प्रकार एक दशक के अन्तराल में जनपद की साक्षरता दर मं वृद्धि हुई है।

विभिन्न पंचवर्षी योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष

रूप से रेखांकित किया और तदनुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए कार्यक्रम चलाये गये और जो अभी भी चल रहे हैं।

साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई है जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। 2000–2001 में की गयी बाल गणाना के अनुसार बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

• समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–20 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल– ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर बै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

• ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा–

  – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

  – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति– पीला निशान

  – माह में 6 दिन या उसके कम की उपस्थिति – लाल निशान

-

- **सत्र के मध्य एवं सत्रांत में अभिभावक सम्मेलन**

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिए बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी** अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविरः** ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **बेटी हो स्कूल में'– कला जत्था अभियान**

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं। "बालिकायें बीच में विद्यालयों न छोड़ दें यह सुनिश्चित करने के लिए "बेटी हो स्कूल में–कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रेषिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण** : बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों।उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम

जनजागरण अभियान–जनपद बलिया में 6–14 वय वर्ग की बालिकायें जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का

नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जन जागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेष कर उन विकास खण्डों में जहां पर बालिकाएं घरों का कामकाज माटी है अथवा अल्पसंख्यक हैं और अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। इनमें माह जुलाई से सितम्बर तक प्रति माह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा। इसके अंतर्गत प्रभात फेरियों जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

- **बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम**– समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

- महिला प्रेरक समूहों, माता शिक्षक समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण।

- जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण।

  11–14 वय वर्ग की ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुकी है परन्तु बालकों के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता–पिता तैयार नहीं हो रहे हैं उनके लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेगी।

- बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणीनीति जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों विकास खण्डों, न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

प्रत्येक ई0सी0सी0ई0 केन्द्र पर 0–6 वय वर्ग के 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्तमान में जनपद बलिया में विकास 923 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

मण्डल कलस्टर डेवेलपमेन्ट एपरोच

प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित न्याय पंचायत को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। कलस्टर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे, ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शुप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सका साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति स्वामित्व, उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन शिविरों, किशोरी संघों के गटन लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होगी। धीरे–धीरे माडल कलस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी प्रत्येक वर्ष कलस्टर का चुनाव करके उनको माडल स्वरूप दिया जायेगा इस प्रकार वर्ष 2009–2010 तक सभी 163 संकुल के आच्छादित कर लिया जायेगा।

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010
एन.पी. आर.सी	—	5	5	5	5	20	—	—	40

विशेष नामांकन अभियान–

चयनित क्लस्टर में पी0आर0ए0 विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा प्राप्त आकड़ों के आधार पर विशेष क्षेत्रों हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर–घर तक पहुंचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

1. **मीना कम्पेन–** इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि

के माध्यम से माता–पिता तथा अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जायेगा।

2. माँ–बेटी मेला आयोजन–ग्राम स्तर पर माँ–बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा जिसका उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करना है।

3. ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालायें/प्रशिक्षण प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिये माता शिक्षक तथा शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक समूह, ब्लाक तथा न्याय पंचायत केन्द्रों के समन्वयक के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे माडल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे।

4. ग्राम शिक्षा समितियों/माता शिक्षक संघों/महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण–बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, डब्ल्यू0एम0सी0 को संवेदनशील बनाना, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5. सेवारत अध्यापक/बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण–समस्त अध्यापकों एवं बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों को बलिया शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं, गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर–

जनपद में बालिका नामांकन शतप्रतिशत, विद्यालय में बने रहने और गुणवत्तापूर्ण सम्प्राप्ति हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के माडल क्लस्टर अथवा अन्य

क्षेत्रों की चयनित ग्रामसभाओं में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की प्रस्ताव है। इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस तरह 163 न्याय पंचायत तथा नगर क्षेत्र ने प्रति वर्ष ग्रीष्मकालीन शिविर लगाये जायेंगे। आगामी वर्षों में अन्य स्थानों में शिविर लगाकर इसका विस्तार किया जायेगा।

चयनित क्लस्टर में आवश्यकता के अनुसार बालिकाओं के लिये ब्रिजकोर्स, आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को केन्ट्स कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा 8 की परीक्षा दिला कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम (कार्यानुभव) एस.यू.पी.डबलू.

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैरपरम्परागत ट्रेड तथा गैरपरम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताआं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तक कला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत समजोपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्ध शिक्षा प्रस्तावित है। उच्च प्रथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के सामान्य ज्ञान देने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रोजगार हेतु किये जाने निम्नवत है:–

कार्यक्रम	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
समर कैम्प	–	–	–	50	50	50
माडल क्लस्टर	–	–	–	5	5	20
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	–	–	–	113	113	113

वी. ई. सी का जेण्डर सम्बंधी प्रशिक्षण–

बलिकाओं की शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए प्रथक में वी.ई.सी. को जेण्डर सम्बंधी प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव एस.एस.ए. ने किया गया है। जिसका वर्शवार विवरण निम्नवत है।

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
वी.ई.सी	–	–	–	835	835	835

क्रियात्मक शोध–

विद्यालयी समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है इससे वे स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और तद्नुसार उनके समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपना सकेंगे। इससे जहाँ एक ओर अध्यापकों की क्षमता का सम्वर्धन होगा वहीं दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा इसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथिमक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक भौक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है कम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रसतुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनो को नवीनतम ज्ञान के अन्वेशण के अवसर मिल सकेगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदो में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यकमों को अंतर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष

10–10 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा। तथा जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्युटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्श एक मुश्त 60,000/– रू. व्यय किये जायेगे।

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
कम्प्यूटर हेतु उ. प्रा. विद्यालयों की संख्या	–	0	0	10	10	10

सामेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चों के लिये)

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी 6–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये और इन्हें शिक्षा के लिए सभी अवसर सुलभ कराये जाये जो सामान्य बच्चों को प्राप्त होते हैं। जिससे वे शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को वंचित न समझे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद के विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. परिषदीय विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ–साथ अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर को सुलभ कराना।
3. 6–14 वय वर्ग के बच्चों में आत्म सम्मान एवं विश्वास विकसित करने के लिए विद्यालयों में अनुकूल वातावरण का निम्माण करना।
4. समेकित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय में जन जागरण और संवदनशीलता का विकास करना।
5. शिक्षा अभिकर्मियों को विकलांग बच्चों की शिक्षा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वयं सेवी संठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामाजिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जनपद में अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार होगी–

1. विकास खण्ड स्तर पर एक संदर्भ समूह तैयार किया जायेगा, जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. इस संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और अध्यापकों को विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगों में इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता जागृत हो सकें। इसके लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।

4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं, और समाज कल्याण संस्थाओं का सहयोग लेकर विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विद्यालयों में भर्ती कराया जायेगा।

5. विकलांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिये उन्हें आवश्यक उपकरणों जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्में तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

6. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें स्वस्थता कार्ड दिये जायेंगें।

समेकित शिक्षा हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिसके लिये विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**– इसमें जनपद स्तर पर प्रति ब्लाक 4 मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेन प्रशिक्षित किये जायेंगे, जिनका प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र के विशेषज्ञ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा प्रशिक्षण की अवधि तथा चक्रों का निर्धारण विकलांग केन्द्र के सुझाव के अनुसार क्रिया जायेगा।

2. **ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण**– जनपद स्तर पर प्रशिक्षित चार मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जोयेंगे। समेकित शिक्षा के अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित सहायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. **सम्वेदन शीलता का प्रशिक्षण**– विकलांग बच्चों के प्रति सम्वेदनशीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्वेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर चलाये जायेंगे,। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

जनपद बलिया में सन् 2000–2001 से डी0पी0ई0पी0 योजना चलाई जा रही है। परियोजना की उपलब्धियों को बनाये रखने और शैक्षिक सम्बर्धन कार्यक्रमों को गतिशीलता देने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण और साहसिक प्रयास है। अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसे बच्चे डी0पी0ई0पी0 से भी विद्यालयों में नहीं जुड़ पाये हैं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। इस गुरूतर दायित्व को पूर्ण करने के लिये सामुदायिक सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जनसमुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा और इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरूह कार्य होगा। अतः अभियान को मूर्त रूप देने के लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों को चलाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य हैं। अभियान के प्रारम्भिक चरण में उन बच्चों के चिन्हींकरण करने का कार्य किया गया जो अब तक विद्यालय में नामांकित नहीं हुए थे। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके

अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

स्कूल चलो अभियान

माह जुलाई 2001 में जिलाधिकारी बलिया के संरक्षण में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में गांव स्तर, ब्लाक स्तर तथा जनपद स्तर पर बच्चों की रैलियां निकाली गयी, पोस्टर, बैनर, नारे के द्वारा जन सम्पर्क अभियान चालये गये। घर–घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की गयी जो विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास पंचायती राज इत्यादि को जोड़ा गया और बच्चों का नामांकन कराया गया। आवश्यकतानुसार आगामी वर्षों में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नामांकन वृद्धि की जायेगी।

वातावरण सृजन

सभी लक्ष्यगत बच्चों विद्यालयों में नामांकित हो, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सभी विकास खण्डों में ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रथम 3 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सत्र में जुलाई से सितम्बर तक नामांकन हेतु जनजागरण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। तद्पश्चात् समुदाय का विद्यालयी व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिये शिक्षक अभिभावक तथा माता अभिभावक एसोसिएशन, बालसभा, नुक्कड़ नाटक तथा विद्यालयों एवं संकुल केन्द्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण

सामुदायिक गतिशीलता के सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भलीभांति समझें और उनका निर्वहन करें। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रो प्लानिंग, पी0आर0ए0 तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित हैं।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**– यह प्रशिक्षण जनपद स्तर में डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी0आर0सी0 समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होंगे। डायट में यह प्रशिक्षण चालीस सन्दर्भदाता प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों में चलाया जायेगा।

2. **सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण**– यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी0आर0सी0 पर मास्टर ट्रेसर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों में प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।

3. **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण**– इनका प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर होगा जिसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक तथा ग्राम प्रधान सन्दर्भदाता के रूप में कार्य करेंगे और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सदस्य वर्ष पूरी योजनाओं में 4 चार वर्ष 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007 में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पांच वर्षों में 2 बार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित समन्वयक बी0आर0सी0 द्वारा किया जायेगा।

अध्याय – 9

गुणवत्ता के लिए नियोजन

बलिया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 2000 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यसमय आरंभ किया गया है। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हे। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षिण संस्थान का संस्थापना वर्ष 1990 में हुआ था। उसके नेतृत्व में प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जनपद में स्थापित 17 बी0 आर0 सी0 तथा 163 एन0 पी0 आर0 सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हो रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई0 सी0 सी0 ई0 कार्यकत्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण सुविधओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों दृश्य श्रव्य उपकरणेां आदि की व्यवसी तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है।

डी0 पी0 ई0 पी (।।।) के अन्तर्गत अद्यावाद्योतक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायर द्वारा सम्पादित क्रिया कलाप

क्र0 सं0	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	4385
2	BRC/ABRC प्रशिक्षण	51
3	NPRC प्रशिक्षण	163
4	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	367
5.	आचार्य / अनुदेशक प्रशिक्षण	166
6	सवेकित शिक्षा प्रशिक्षण (4 ब्लाक)	945

7	आँगनवाड़ी कायकर्ता प्रशिक्षण	125
8	सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	4385
9	श्रेणीकरण	–
10	ABSA / SD/ प्रशिक्षण	25
11	लिंग संवेदी करण	4015
12	ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण	3600

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों की गुणवत्ता में वृद्धि की गई। इस प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

डी0 पी0 ई0 पी0 का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 1. सार्वभौमिक नामांकन 2. सार्वभौमिक धारण, 3. गुणात्मक संप्राप्ति। प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में डायट बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्बन्धित का मुख्य उत्तरदायित्व डायट पर है इस दिशा में डायट द्वारा बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियां, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण द्वारा डाफ्ट, बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 द्वारा किया जाता है।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपार्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहां शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन0पी0आर0सी0 और 4 प्राथमिक विद्यालयों की अनुश्रवण किया जाता हैं और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता है। इसी प्रकार बी0आर0सी0 के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन0पी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षक नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकाताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

3. मकतब मदरसों में अध्यनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद बलिया में 75 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई0सी0डी0एस के समन्वय से किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग

उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

जिला शिक्षा कार्यक्रम से केन्द्रों की कार्यत्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रू0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयनप में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होात है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद बलिया में डायट के नेतृत्व में 835 ग्राम शिक्षा समितियों में से 415 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। बी0आर0जी0 सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी0आर0जी0 के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिखा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैंपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियेाजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति–संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का

उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तथा बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न हैं, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे:–

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाइनार बलिया के नेतृत्व में डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। डी0पी0ई0पी0 के पूर्व एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं–

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।

- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।

- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर डी0पी0ई0पी0 योजना के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों–परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों शिक्षामित्रों, आचार्य जी, अनुदेशकों के लिए आयोजित किये जा रहे हैं। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

डी0पी0ई0पी0 में दिये गये सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण का विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्थल के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये जायेंगे। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षक में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो! शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गयी है।

शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण जनपद के 17 विकास खण्डों में बी0आर0सी0 के माध्यम से फेरेवार आयोजित किये जा चुके हैं।

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग।
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल।

यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय था।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलिया में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक और एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया है जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी0आर0सी0 के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉड्यूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के संबंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षक के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालययों, एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी0आर0सी0 संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन और फालोअप।
- विद्यालय भ्रमण मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीड बैंक प्रदान करते हैं।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई0एम0आई0एस0 के ऑकड़ों का संकलन।

- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादनिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण, अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केंन्द्रों तथा शिशु केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से संबंधित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

डायट के निर्देश में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिस संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी है। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य हैं–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी है इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता:

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैकिक्षक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	4529	1040
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	23	00
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	497	00
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	316	—
5.	स्नातक अप्रशिक्षित	129	—
6.	(क) विज्ञान शिक्षक	220	—
	(ख) संस्कृत शिक्षक/उर्दू शिक्षक	430	—
7.	परास्नातक अप्रशिक्षित	13	—
8.	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	2205	619
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	961	281
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	385	140

स्रोतः कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा प्रशिक्षित (बी0टी0सी0 अथवा सनकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 19 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या 1040 है जबकि इण्टर प्रशिक्षित 60 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 27 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 13 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है। विगत कई वर्षों से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है। जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 49 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित है या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभवः

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार–

सारणी–2

क्र.सं.	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1.	5 वर्ष से कम	683	349
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	955	242
3.	10 वर्ष से 15 वर्ष तक	661	169
4.	15 वर्ष से 20 वर्ष तक	874	118
5.	20 वर्ष से 25 वर्ष तक	613	090
6.	25 वष्र से 30 वर्ष तक	457	065
7.	30 वर्ष से अधिक	286	007

स्रोतः कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया

उपर्युक्त सारणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय

से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं रना चाहते हैं। इसके विपरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते हैं और कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद बलिया में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है–

सारणी–3

एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की संख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की संख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की संख्या	पांच तथा पांच से अधिक शिक्षक विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय 67	719	369	249	81
उच्च प्राथमिक 5	26	31	34	97–

स्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 85 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग 46.46 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहां दो ही शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा

प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्ध तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए प्रोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

सारणी–4 कक्षा–2 में भाषा की बेसलाइन सर्वे के आधार पर उपलब्धि

कक्षाएं परीक्षण	भाषा					
	बालक	बालिका	अनु0जाति	पिछड़ा	अन्य वर्ग	एस0डी0
बेसलाइन सर्वे कक्षा 2	38.65	34.35	31.00	39.35	48.8	–

स्रोतः डायट पकवाइनार

सारणी संख्या–4 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं नानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 83.35 प्रतिशत तथा मानक विचलन 13.81 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 87.94 प्रतिशत एवं मानक विचलन 1077 है। सारणी 1 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 91.73 प्रतिशत है जबकिक मानक विचलन मात्र 3.82 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 92.56 प्रतिशत एवं

मानक विचलन 4.96 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी–5 कक्षा 2 में गणित में लिंगवार वेसलाइन सर्वे के आधार पर उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा				
	बालक	बालिका	अनु0	पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेसलाइन सर्वे भाषा	55.75	45.6	30.8	51.6	62.5

स्रोत : डायट पंकवाइनार

सारणी संख्या 5 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 गणित में सभी वर्गों के बालक/बालिकाओं की औसत उपलब्धि 62.5 प्रतिशत है।

सारणी 5–क कक्षा–5 भाषा में लिंगवार बेसलाइन सर्वे के आधार पर उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा				
	बलक	बालिका	अनु0	पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेसलाइन सर्वे भाषा	45.1	49.6	41.58	44.2	42.2

स्रोत : डायट पकवाइनार

सारणी 5 क प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 42.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 499 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति में भाषा का प्रतिशत 41.58 अन्य पिछड़ा वर्ग में 44.2 तथा अन्य वर्ग के बालक बालिकाओं का भाषा की औसत उपलब्धि 42.2 प्रतिशत है।

सारणी–5ख कक्षा–5 गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा				
बेसलाइन सर्वे	बालक	बालिका	अनु0	पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
भाषा	32.87	32.77	31.8	32.4	36.57

ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस सीमैट, 1998–99 तथा 'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी, एस0सी0ई0 आर0टी0 (2000) अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं–

1. सेवापूर्व एवं सेवारत दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों में क्लास रूम प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिए।

2. शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही काफी नहीं है बल्कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकों एवं आधुनिक सूचना तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिए।

3. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बी0आर0सी0 स्तर पर सूचना तकनीक के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का डिजाइनिंग के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिए निर्धारित विधियों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहिए।

5. क्लासरूम की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक है।

6. शिक्षकों एवं बच्चों को सक्रियता प्रदान करने के उद्देश्य से डायट, एन0जी0ओ0 और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास किया जाना चाहिए।

7. विद्यालयों के सामाजिक रूप से अपवंचित एवं अकादमिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की देखभाल करने के लिए बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।

8. शिक्षकों एवं बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9. विद्यालय के अकादमिक, सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिए हर दूसरे वर्ष मूल्यांकन करके अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कार एवं अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर के प्राधिकारी के सहयोग से डायट स्तर पर योजना निर्माण की आवश्यकता है।

10. शिक्षण में प्रयोग हेतु सहायक सामग्री के निर्माण एवं अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों के प्रयोग बढ़ावा देने के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तर पर उचित निर्देश दिया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

- **जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :**

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे हैं और बाल श्रमिक भी है। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते हैं। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है। जनपद के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बच्चे कठिन स्थितियों में बाल श्रमिक के रूप में कर्म करते हैं अथवा

माता–पिता के साथ खदानों के आस–पास रहते हैं। पत्थर खदानों के पास स्थित बच्चों तथा बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय की निर्धारित समय–सारणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तद्नुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन करना चाहिए।

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विद्या को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी दो कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। जनपद बलिया में 6–14 वय वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई0जी0एस0 केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चों पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समय प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगा। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद को एक विजन विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद–विकास खण्ड न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग

कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के अलग सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों विकास तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर बीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसने बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहगतियां तय की जायेगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी बीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं बी0आर0सी0 और मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

डी0पी0ई0पी0 योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

1. बीजनिंग कार्यशालाएं–3 दिवसीय–एन0पी0आर0सी0 स्तर पर।
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाइयपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।
3. मेटीरियल मेला–एक दिवसीय–एन0पी0आर0सी0 स्तर पर।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध करायी जायेगी।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों कार्यशालाओं तथा गोष्ठियां का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी0आर0सी तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष से प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी के तारतम्य में लघु अवधि के

प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों संबंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

1. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी0आर0सी0 स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी0आर0सी0एन0 में आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार हैं:–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेगी जिनको एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु

होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपयुक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम है उनके लिए विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक हैं उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व समय–प्रबंधन,

विद्यालयों अभिलेखों के रख–रखाव स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उपरोक्त सभी प्रक्षिणों पर प्रति प्रतिभागी रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष शिक्षा प्रशिक्षण आयोजित जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संबंधित कक्षा 6–8 से शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिमान करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण से शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तिकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह से इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षाकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रशिक्षित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ग में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर व्यय अनुमानित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथाशिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो एक दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण सन् 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर प्राप्त की जायेगी। इस वर्ष के 6 माह से इनकी आयतन सुनिश्तिच किया जायेगा।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षा तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर हिन्दी भाषी शिक्षण

हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक बैठें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी जिनका पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली संबंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में टेस्ट आइटम बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

पाचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पूर्वोत्तमक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पांचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

1. **शिक्षामित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण**–जनपद के शिक्षामित्रों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षा प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा**– जनपद में प्रस्तावित ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा/मकतब केन्द्रों की संख्या 352 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 30 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15 दिवसीय रिफेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस0सी0आर0सी0, बी0आर0सी0 के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण**– पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 7300 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इसकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

4. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वय की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व संबंधी अकार्वमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ से 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया

गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे। तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना ई0सी0सी0ई0 तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आई0 प्रशिक्षण**– जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमैट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमैट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों, ई0जी0एस0 केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई0एम0आई0एस0 माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण**– स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं

का नामांकन शत प्रतिशत करने ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण प्रतीक वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस0एस0ए0 के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी0पी0ई0पी0 तृतीय के अंतर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युक्त मगर दल के सदस्य मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षत्रों से सामूदायिक सहभागिता से प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है । स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेंट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डज्ञयट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय

में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयो में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी0 एम0 के आदेश पर 12 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ तथा निर्धारित तिथिया का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 177 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारिणी – 6

	प्राथमिक स्तर	**उच्च प्राथमिक स्तर**
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	12 डी एम0 के विशेष आदेश पर	12
समुदाय से सम्पर्क	08	08
शिक्षक दिवस	177	183

स्रोत : डायट पकवाइनार

सारणी – 7

	प्राथमिक स्तर वादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन /समय
भाषा –1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्टे	6 वादन / 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा – 1 अंग्रेजी	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि0	6 वादन/ 4 घं0 30 मिनट
भाषा – 3 संस्कृत	5 वादन/ 3 घण्टे 20 मि0	4 वादन / 3 घं0
ध्वज्ञान	6 वादन/ 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं0 30 मि0
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन / 4 घं0 30 मि0
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं0 30 मि0
सामाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन/ 4 घं0 30 मि0
कला शिक्षण	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि0	8 वादन / 6 घं0

स्रोत : डायट पकवा इनार बलिया

उपर्युक्त सारिणी : 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 77 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 183 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अत5 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोज़न में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय गतिविधियों में उपयोग आदि उपायें को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयो में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 उ0 प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तक वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षण –संदर्शिकाएं जो डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई है। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0 प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6– 8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया हे। यह पाठ्यक्रम

आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एएस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के विशिष्ठ संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी।

किशोरी बालिका के लिए पठन सामग्री :

सर्व शिक्षा अभियानि के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करोई जाएगी।

7. गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर आकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा गुणवत्ता विकास के लिए

जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेगी। जनपद, विकास खण्ड न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों, का नियेाजन तथा क्रियान्वयन, अकैदमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई एस आई एस आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वो का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समय लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थगत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की आकदमिक संतुलन प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण किया आधारित प्रशिक्षण प्रदान करे बी0 आर0 सी0 एन पी0 आर0 सी0 समन्वयकों का परीक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा बी0 ई0 सी0 प्रशिक्षण ई0 सी0 सी0 प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास" कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध – मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए0 बी0 एस0 ए0 / एस0 डी0 आई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी0 आर0 सी0 के समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0 के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट से सकाय सदस्यों हेतु वार्ता/ व्याख्यान का आयोजन

करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सृदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह संसाधान समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ योग्य शिक्षक आदि सदस्य है अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के सहयोग से क्षमता कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रामेां में प्रदेश के अन्तर्गत स्थपित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संसीान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चें को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। जैसा कि ऊपर वर्णित है इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना–

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 समन्यव के लिए आयोजित किया जाएगा कक्षा कक्ष एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षक सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसीप्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया है। तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पटन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथ उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्ष्कों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात् इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जि5ससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

वर्शवार शिक्षण सामग्री का प्रदर्शनी

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010
प्राथमिक	17	17	17	17	17	17	17	17	17
उच्च प्राथमिक	17	17	17	17	17	17	17	17	17

कार्यशाला गोष्ठियों का आयोजन :

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियां डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डभ्0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मांसिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन0 पी0 आर0 सी0 बी0 आर0 सी0 की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत शिक्षण सामग्री निर्माण शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गाष्ठियां आयोजित की जायेगी।

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आकड़ों की शेयरिंग
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के कथा – कविता के लिए संकलन

शोध एवं मूल्यांकन :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि सं0 05 दिवसीय कार्यशालएं आयोजित की जायेगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेंट इलाहाबाद और एस सी0 ई0 आर0 टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाए और समाधान ढूंढ़ने में कामयाब हो सके। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है।

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है।

2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।

3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?

4. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।

5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।

6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्व्यन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिहिनत कमजोर विद्यालयों में प्रबन्ध न के मुद्दे।

8. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।

9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियां।

10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहरिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस सी0 ई0 आर0 टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास कारपोरेशन भी की जाएगी।

आंकड़ों का विश्लेषण नियेाजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग

ई0 एम0 आई एस0 के द्वारा प्राप्त आंकडा के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/ प्रत्येक गांव / प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/ आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ मे बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है। कि कक्षा 5 की परीक्षा एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर कि जाये तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी0 आर0 सी0 स्तर पर कि जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर होगी। साथ ही प्रश्न पत्र भी डज्ञयट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड़ बैक प्रदान करने के लिए सतत – व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी। एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 उ0 प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यकांन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्याकंन संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा हैं। इस सतत एवं व्यापक मूल्याकंन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्याकंन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडयूला का विकास नही किया जायेगा वरन इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक – प्रशिक्षण मॉडयूला में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यताः एतद् – विषयक प्रशिक्षण डायट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का कियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी0 पी0 ओ0 स्टाक ए0 बी0 एस0 ए0, एस0 डी आई बी0 आर सी समन्वयक	04 दिन

2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेरशर प्रशिक्षण	शिक्षामित्र आचार्यजी	30 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	 30 15
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक	
6.	ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों की कार्यत्रियों तथा सहयिकाएं	7
7.	बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी समन्वयक	
8.	ए0 बी0 एस0 ए0 एस0 डी0 आई का प्रशिक्षण	ए0 बी0 एस0 ए0 एस0 डी0 आई	
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी0 आर0 जी0 का प्रशिक्षण	बी0 आर0 जी0 के सदस्य	
10	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उदू शिक्षक	
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक	
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्राथमिक विद्यालय	

15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	
16.	मेटीरियल मेला	डायट स्टाफ, बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक चुने हुए शिक्षक	
17.	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक	
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0 वि0 के शिक्षक चिन्हित 'शिक्षक शिक्षिकाएं	
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक हाईस्कूल इण्टर कोलज के चुने हुए शिक्षक	
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	

23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी0 आर0 सी0 समन्वयक चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	
25.	वास्तविक शिक्षा समय को बढाने हेतु	चुने हुए शिक्षक	
26.		बी0 आर0 सी0 एन0 बी0 आर0 सी0 समन्वयक	
27.			

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की समेकित भूमिका रहेगी। एन0 पी0 आर0 सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0 बार0 सी0 को देगा तथा समीक्षा करके बी0 आर0 सी0 प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0 जी0 के सदस्यो द्वारा मुख्या समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 कार्य करेगें। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठको का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुरवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकिय उच्च प्रथामिक विद्यालयों, हाईस्कूल इण्टर कालेज मे 6–8 कक्षाओ को पढ़ाने वाले शिक्षको वैकल्पिक शिक्षा, ई0 सी0 सी0 ई0, ई0 जी0 एस0 केन्द्रों को भी लाया जायेगाा।

बी0 आर0 सी0 तथा0 एन0 पी0 आर0 सी0 में गुणवत्ता विकास में प्रस्ताावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि पी0 पी0 ई0 पी0 के अर्न्तगत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन0 पी0 आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 का उनके

कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा उपेक्षित स्तर का प्रर्दशन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रो को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी0 आर0 सी0 की भूमिकाः

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगें।

1. सेवारत शिक्षको का प्रशिक्षण – आयोजन करेंगें।

2. विद्यालयो में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगें।

3. वैकल्पिक शिक्षा,ई0 जी0 एस0, शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगें।

4. समुदाय के सदस्यो का बी0 आर0 सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत संस्थाओ तथा अन्य नियमों से सतन्वय स्थापित करेंगें।

5. ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ो का संकलन तथा विश्लेषण करेगें।

6. अकादमिक समस्याओ के निवारण हेतु एन0 पी0 आर0 सी0 तथा डायत के मध्य सकिय कड़ी का कार्य करेंगें।

7. बी0 आर0 सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु सवर्म समूह विकसित करेंगें।

8. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगें।

9. स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगें।

10. बी0 आर0 सी0 स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओ का आयोजन करेंगें।

11. प्रथामिक शिक्षा के प्रति समुदास अभिभावको तथा संचार माध्यमों को अभिप्ररित कर सवेदनशील बनायेंगें।

एन0 पी0 आर0सी0 की भूमिका

1. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजाना विकासित करेगें।

2. शिक्षको के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओ का आयोजन करेगें।

3. विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा, ई0 सी0 सी0 आर0 तथा ई0 जी0 एस0 केन्द्रो का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगें।

4. ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ो की संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

5. स्कूल भ्रमण तथा आर्दश पाठों का प्रस्तुतीकरण करेगें।

6. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षको को सहयोग प्रदान करेंगें।

7. स्कूल डेवलपमेंन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट द्वारा वर्ष 2003 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004 – 05	वर्ष 2005 – 06	वर्ष 2006 – 07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0 एल0 एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मुल्यांकन एवं अनुश्रवण
अपर प्राइमरी	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	पर्यावरणयी अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	हिन्दी, एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0 डी0 आई / ए0 बी0 एस0 ए0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0 डी0 आई / ए0 बी0 एस0 ए0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0 डी0 आई / ए0 बी0 एस0 ए0 का प्रशिक्षण का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0 डी0 आई / ए0 बी0 एस0 ए0 का प्रशिक्षण का मूल्यांकन

	बी0 आर0 सी0/ एन0पी0आर0 सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	बी0 आर0 सी0 / एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु	बी0 आर0 पी0 / एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0/ एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एव मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रात्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमो का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका लगी। सर्द शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से

उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियो एवं शिक्षको में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी को रू. 10ए000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी को रू0 7ए000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू0 15ए000 तथा रू0 10ए000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षको को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षको को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हे रू0 5ए000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर पसमुदाय के चर्चा की जायगी।

अध्याय – 10

परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था की परियोजना वर्तमान की जायेगी। इसकी अवधि 2001–10 तक होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगी और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें अधिकतम जनसहभागिता पर ध्यान रखा जायेगा।

संगठनात्मक ढांचा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी है। मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष है। तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव हे।

समिति का गठन निम्न प्रकार हैं।

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सदस्य संस्थान
5. जिला स्तरीय विभाग का एक अधिकारी सदस्य

6. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक विभाग) सदस्य

7. जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य

8. अधिशासी अभियन्ता पी0 डब्लू0 डी0 सदस्य

9. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सदस्य

10. जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य

11. दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)

12. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष सदस्य

13. दो शिक्षक (राष्ट्रपति/राज्यपुरस्कार प्राप्त) सदस्य

14. स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व

(अ) यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिला स्तर पर उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार तथा जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होगे। प्रवेश धारण क्षमता, गुणवत्ता संवर्धन तथा निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण तथ प्रचार प्रसार के रूपी कार्य इसी समिति के द्वारा निर्धारित किये जायेगं। यह समिति जिले के अन्तर्गत सह शिक्ष अभियान की संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इस संपिति का होगा।

(ब) जिला बेसिक शिक्षा समिति परियोजना के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थल चयन करने के लिए जिला

स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्ष अधिकारी सदस्य/सचिव है।

जिला परियोजना कार्यालय

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिलों शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे जिसमें निम्नलिखित आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यानलय में निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारी होंगे

1.जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अपर जिला परियोजना अधिकारी

3. समन्यवक

4. सलाहकार

5. कम्युटर आपरटेर

6. सहायक लेखाधिकारी

7. लिपिक/कम्प्युटर आपरेटर

8. परिचारक

उपर्युक्त सभी अधीकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवक्षण होगे जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपर जिला परियोजना अधिकारी होगे।

ग्राम शिक्षा समिति

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगी। विद्यालय परिसर में सुधार निर्माण पहाड़ी बारी निर्माण शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति विद्यालय की स्वच्छता आदि इसी समिति की देखरेख में सम्पन्न किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नामांकन धारण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व होगा। समिति का स्वरूप निम्नवत है।

1. ग्राम प्रधान अध्यक्ष

2. प्रधनाध्यापक – सदस्य/सचिव

3. तीन अभिभावक जिसमें एक सदस्य महिला सदस्य होगी

(सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत होगी)

शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों के स्टाफ का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार का वितरण निःशुल्क पाठ्यपुस्तकाके का वितरण ग्राम शिक्षा समितियों के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक संगठन

1. ब्लाक स्तर :

प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तर दायी होगे। विकासखण्ड के स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय प्रचायत केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

पदेन विकास दण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियो एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2. विद्यालय भवनों (निर्मित हाने वाले) का पर्यवेक्षण करना।

3. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित कराना।

4. छात्रवृत्ति एवं पोषाहार की सूचना संकलित करना।

5. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा केला भुगतान सुनिश्चित करना।

6. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्षमता में वृद्धि के लिए मोटर साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का सम्प्रति कार्यालय ब्लाक संसाधन केन्द्र है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धन के दुरूपयोग से बचने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजे जाने वाले समस्त अनुदान सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के खाते में ही भेजे जाय। इस खाते का लेखा परीक्षण अन्य शासकीय कार्यलयों की भांति ही सुनिश्चित कराया जाय।

गुणवत्ता संवर्धन हेतु संगठनात्मक ढांचा

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान सुदृढ़ किया जा चुका हे। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को

दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इसके निम्नलिखित कार्य है –

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों को आयोजन करना।

2. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना निरीक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

3. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना तथा अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।

4. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना तथा इसके लिए बेस लाईन सर्वे कराना।

5. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना तथा क्रियान्वयन कराना।

6. विधिको समन्वयकों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

ब्लाक संसाधन केन्द्र

जनपद बलिया के 16 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन भवनों का निर्माणकराया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है। सभी विकास खण्डों में एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा सभी प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना तथा संकलन सांख्यिकी संकलन एवं सभी प्रकार के कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

कार्य एवं दायित्व

1. अध्यापकों को अभिनकीकरण प्रशिक्षण प्राप्त कराना।
2. विद्यालयों का एकेडेमिक करना/नवीन विधियेां के अनुसार शिक्षण कार्य कराना।
3. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं डाइट के बीच मे समन्वय स्थापित करना।
4. विकास खण्ड के शैक्षणिक आंकड़ों का आकलन एवं संकलन करना तथा सूक्ष्म नियोजन कराना।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रे (ए0 सी0 आर0 सी0)

जनपद बलिया में 163 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

इसे सुसज्जित करने हेतु न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों में संकुल प्रभारी की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनकों प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय और क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विधायाको का शैक्षणिक निरीक्षण करना।
2. विद्यालयो का साप्ताहिक पर्यवेक्षण करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. विद्यालयों में गुणवक्ता सुधार प्रवेश निर्माण की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत सहित्य शैक्षिक सूचनाओ का संचलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जो कम्पूटर स्थपित है उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा नवाचार योजना सम्बन्धी गतिविधियो का अनुश्रवण ऑकड़ो का सचालन एवं विश्लेषण किया जायेगा।

विद्यालय सांख्किी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्पूटर आपरेटर संकुल प्रभारी वी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उसे भरना संकलन, विशलेषण आदि की जानकारी दिया जायेगा।

प्राथमिक तथा उ0 प्राथमिक स्तर पर प्राप्त शैक्षणिक सूचनाओं के प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आँकड़े एकत्रित किये जायेगे तथाकम्प्यूटर डाटा तैयार की जायेगी।

ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स ग्रास इनरोलमेन्ट रेसियो नेट इनरोलमेन्ट रेडियो डाय हाउट दर छात्र अध्यापक अनुपात कक्षा कक्ष छात्र अनुपात के आंकड़ों का प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु उपयोग किया जायेगा।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। • विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ......05...... प्राथमिक एवं ......05...... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। २००२-०३ मे कुल १५ प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 798 था है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	२०
2004-05	283	
2005-06	300	
2006-07	200	
योग	783	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BALIA

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travelling Allowance & Meeting			6.00	17	102.00	17	102.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	17	85.00	17	85.00	
7	Contegency			12.50	17	212.50	17	212.50	
	TOTAL BRC	0	0.00		51	399.50	51	399.50	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	163	163.00	163	163.00	
11	Contegency			2.50	163	407.50	163	407.50	
12	Meeting & TA			2.40	163	391.20	163	391.20	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		489	961.70	489	961.70	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	73	18907.00	73	18907.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	26	4589.00	280.00	57	15960.00	83	20549.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00		0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	19	1330.00	19	1330.00	
17	Toilets PS			10.00		0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	57	570.00	57	570.00	
19	Reconstruction PS			191.00		0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	5	1915.00	5	1915.00	
21	Drinking Waters PS			15.00		0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00		0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00		0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00		0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	26	4589.00		211	38682.00	237	43271.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845		0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845		0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	17	612.00	17	612.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	163	5509.40	163	5509.40	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		181.00	6301.40	181.00	6301.40	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		181	6301.40	181	6301.40	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	234	11.70	234	11.70	
35	Free Text Books UPS			0.15	139970	20995.50	139970	20995.50	
	TOTAL Text Book	0	0.00		140204	21007.20	140204	21007.20	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2211	2653.20	221	2653.20	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1560	7800.00	1560	7800.00	
58	U.P.S.			5.00	193	965.00	193	965.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1753	8765.00	1753	8765.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			2730.00	0	2730.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	219	306.60	219	306.60	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		219	306.60	219	306.60	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	26	52.00	26	52.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	344	688.00	344	688.00	
	Total School Grant	0	0		370	740.00	370	740.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BALIA

(Rs. In Thousand)

lo.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14
I)	**SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)**						0	0.00	
5	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
6	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	78	9360.00	78	9360.00	12 Months
7	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
8	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	**0**	**0.00**		**78**	**9360.00**	**78**	**9360.00**	
II)	**SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)**						0	0.00	
9	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	73	3942.00	73	3942.00	6 Months
0	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	171	10260.00	171	10260.00	6 Months
1	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
2	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	73	985.50	73	985.50	6 Months
3	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1067	14404.50	1067	14404.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	**0**	**0.00**		**1384**	**29592.00**	**1384**	**29592.00**	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	**0**	**0.00**		**1462**	**38952.00**	**1462**	**38952.00**	
III	**TEACHER GRANT (TLM)**						0	0.00	
4	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	205	102.50	205	102.50	
5	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	2321	1160.50	2321	1160.50	
	TOTAL Teacher Grant	**0**	**0.00**		**2526**	**1263.00**	**2526**	**1263.00**	
IX)	**TEACHING LEARNING EQUIPMENTS**						0	0.00	
7	TLE PS @10			10.00	73	730.00	73	730.00	
8	TLE UPS @50	26	1300.00	50.00	57	2850.00	83	4150.00	
(a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	51	2550.00	50.00		0.00	51	2550.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	**77**	**3850.00**		**130**	**3580.00**	**207**	**7430.00**	
X)	**TEACHER TRAINING**						0	0.00	
9	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	50	105.00	50	105.00	
0	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	247	345.80	247	345.80	
1	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1196	1255.80	1196	1255.80	
	TOTAL Teacher Training	**0**	**0.00**		**1493**	**1706.60**	**1493**	**1706.60**	
XI)	**STRENGTHENING OF VEC**						0	0.00	
2	VEC Traning @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48		0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
III	**EMIS CELL**								
	TOTAL EMIS Cell	**0**	**0.00**			**244.00**	**0**	**244.00**	
III	**STRENGTHENING OF DIET**								
	TOTAL DIET	**0**	**0.00**				**0**	**0.00**	
	GRAND TOTAL		**8439.00**			**133292.20**		**141731.20**	

PROJECT COST

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Ballia

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	73	18907	0	0	5	1280	0	0	78	20187
A2	New Upper Primary Schools	451	26	11726	57	15960	0	0	5	1400	0	0	88	29086
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	78	4680	78	9360	78	9360	78	9360	78	9360	390	42120
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	73	985.5	73	1808.75	78	1930.5	78	1930.5	302	6653.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	73	3942	73	7884	78	8424	78	8424	302	28674
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	171	10260	171	20520	186	22320	186	22320	714	75420
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	73	730	0	0	5	50	0	0	78	780
A8.2	UPS	50	26	1300	57	2850	0	0	5	250	0	0	88	4400
A9	TLE UPS not covered OBB	50	51	2550	0	0	52	2600	0	0	0	0	103	5150
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		**0**	**20256**	**0**	**62994.5**	**0**	**42370.75**	**0**	**45214.5**	**0**	**42234.5**		**213070.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	50	1056.25	133	2809.625	133	2809.625	316	6675.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	16	338	99	2091.375	99	2091.375	214	4520.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	17	612	50	1800	67	2412	67	2412	201	7236
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	20	1200	20	1200	20	1200	80	3600
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	5	900	5	900	5	900	16	2880
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	163	5509.4	34	1149.2	0	0	0	0	197	6658.6
A17	Strengthening *Maqtab/Madarsa(per center)*	15.4	0	0	0	0	3	46.05	10	153.5	10	153.5	23	353.05
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		**0**	**20256.00**	**0**	**69295.90**	**0**	**49110.25**	**0**	**56031.00**	**0**	**52051.00**	**0**	**245744.15**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	21	4011	0	0	0	0	21	4011
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	26	9958	0	0	0	0	31	11873
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	500	35000	711	49770	0	0	1211	84770
R3.2	Addl Classroom Upper Primary Schools	70	26	1820	19	1330	79	5530	195	13650	0	0	319	22330
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	57	570	107	1070	0	0	0	0	164	1640
R4.2	Toilets Primary	10	15	150	0	0	283	2830	300	3000	200	2000	798	7980
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	216	3888	0	0	0	0	216	3888
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	2	36	0	0	0	0	2	36
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1560	7800	1633	8165	1633	8165	1638	8190	6464	32320
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	193	965	193	965	276	1380	276	1380	281	1405	1219	6095
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1067	26408.25	1491	36902.25	1562	38659.5	4120	101970
R7 3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	423	40608	494	47424	589	56544	1506	144576
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1067	14404	424	10494	71	1757.25	95	2351.25	1657	29006.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	26	52	1643	3286	1648	3296	1648	3296	4965	9930
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	193	386	344	688	428	856	433	866	433	866	1831	3662
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2438
R12.1	*Summer Camps*	45	0	0	0	0	50	225	50	225	50	225	150	675
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12 3	Meena Manch	4	0	0	0	0	5	20	5	20	5	20	15	60
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	113	2825	113	2825	113	2825	339	8475
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	125	625	125	625	125	625	375	1875
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	125	468.75	125	468.75	125	468.75	375	1406.25
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	125	187.5	125	187.5	125	187.5	375	562.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	125	8.75	125	8.75	125	8.75	375	26.25
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1633	4572.4	1633	4572.4	1633	4572.4	4899	13717.2
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	163	815	163	815	163	815	489	2445
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	835	400.8	835	400.8	835	400.8	2505	1202.4
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	2	10	2	10	2	10	6	30
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	711	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	2111.7
R20	Computer Edu For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	10	600	10	600	10	600	40	6800
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1909	4772.5	1909	4772.5	1909	4772.5	5727	14317.5
	RETENTION Sub Total		0	**6470**	0	**32724**	0	**169942.9**	0	**182633.1**	0	**129734.36**	**0**	**521504.3**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1 1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	50	105	1564	3284.4	76	159.6	95	199.5	1785	3748.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	78	163.8	0	0	496	1041.6	91	191.1	95	199.5	760	1596
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	1040	1456	247	345.8	5413	7578.2	5496	7694.4	5567	7793.8	17763	24868.2
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1196	1255.8	1380	1449	1395	1464.75	1395	1464.75	5366	5634.3
Q1 5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1140	1596	1569	2196.6	1640	2296	4349	6088.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	116	243.6	0	0	0	0	116	243.6
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	51	35.7	51	35.7	51	35.7	153	107.1
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	163	114.1	163	114.1	163	114.1	489	342.3
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	10	14	10	14	10	14	30	42
Q 10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	28	9.8	28	9.8	28	9.8	84	29.4
Q2	IED Provision for disable children	1.2	208	83.2	2211	2653.2	2478	2973.6	2601	3121.2	2731	3277.2	10229	12108.4
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2 9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	205	102.5	7422	3711	7574	3787	7764	3882	22965	11482.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1118	559	2321	1160.5	1836	918	1851	925.5	1851	925.5	8977	4488.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	234	11.7	240968	12048.4	245738	12286.9	250653	12532 65	737593	36879.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	75995	11399.25	139970	20995.5	117584	17637.6	119942	17991.3	122584	18387.6	576075	88411.25
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	276	41.4	276	41.4	276	41.4	828	124.2
Q5 6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	253	12.65	253	12.65	253	12.65	759	37.95
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1633	24495	1633	24495	1633	24495	4899	73485
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	276	2070	276	2070	276	2070	828	6210
Q5 9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	18	450	18	450	18	450	54	1350
	QUALITY Sub Total		0	**13661.28**	0	**26630**	0	**79746.55**	0	**77083.5**	0	**78223.65**		**275344.95**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	28	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1 13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	1	800
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	17	2448	17	2448	34	4896
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	34	2244	34	2244	68	4488
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	17	612	17	612	34	1224
C2 5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	17	102	17	102	17	102	17	102	68	408
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	17	34	17	34	17	34	51	102
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	17	170	17	170	17	170	51	510
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	17	85	17	85	17	85	17	85	68	340
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	17	85	17	85	17	85	51	255
C2.11	Contigency	12.5	0	0	17	212.5	17	212.5	17	212.5	17	212.5	68	850
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	17	61.2	17	61.2	17	61.2	51	183.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	28	140	28	140	28	140	84	420
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	163	23472	163	23472	326	46944
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	163	163	0	0	163	163	163	163	489	489
C3 4	Contingency	2.5	0	0	163	407.5	163	407.5	163	407.5	163	407.5	652	1630
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	163	391.2	163	391.2	163	391.2	163	391.2	652	1564.8
C4	District Project Office/Management		0	978	0	2730	0	0	0	0	0	0	0	3708
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	13	2340	13	2340	13	2340	39	7020
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	28	504	28	504	28	504	84	1512
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	28	280	28	280	28	280	84	840
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	2	80	2	80	2	80	6	240
C4 10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	2	60	2	60	2	60	6	180
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	2	200	2	200	2	200	6	600
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	17	2040	17	2040	17	2040	51	6120
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	3	30	3	30	3	30	9	90
C4.14	*Supervision & Monitoring per school PS*	1.4	0	0	0	0	1633	2286.2	1633	2286.2	1633	2286.2	4899	6858.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	219	306.6	219	306.6	276	386.4	276	386.4	276	386.4	1266	1772.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4 17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1284.6**	0	**4397.8**	0	**12038**	0	**40117**	0	**40117**		**97954.4**
C5	MIS		0	0	0	244	0		0		0			244
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5 6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.6	*Pnning & Distribution of Data Formats*	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5 12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25
	CAPACITY Sub Total		0	1284.6	0	**4641.8**	0	12562	0	**40616**	0	**40616**	0	**99720.4**
	GRAND TOTAL		0	41671.9	0	133291.70	0	311361.65	0	355363.60	0	300625.00	0	1142313.80

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Ballia**

			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			13696.0		38682.0		62323.0		69100.0		2000.0		185801.0
Management			306.6		306.6		9090.6		9065.6		9065.6		27835.0
Programme			27669.3		94303.1		239948.1		277198.0		289559.4		928677.8
Total			**41671.9**		**133291.7**		**311361.7**		**355363.6**		**300625.0**		**1142313.8**
Percentage - Civil			**32.9**		**29.0**		**20.0**		**19.4**		**0.7**		**16.3**
Percentage - Management			**0.7**		**0.2**		**2.9**		**2.6**		**3.0**		**2.4**
Percentage - Programme			**66.4**		**70.7**		**77.1**		**78.0**		**96.3**		**81.3**
Percentage - Total			100		100		100		[illegible]		[illegible]		100